निविदा दस्तावेज

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहॉंगीराबाद, भोपाल

विपणन संघ

S.O.R. BASED TENDER

(तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा दस्तावेज)

खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन सह लोडिंग एवं अनलोडिंग निविदा अवधि वर्ष 2026–28

निविदा दस्तावेज

खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन सह लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा अवधि वर्ष 2026–28

विषय सूची

स. क्र.	विवरण	पेज क्र.
01	निविदा बावत जानकारी	04
02	निविदा आमंत्रण	05
03	निविदा के उद्देश्य, निविदा का संक्षिप्त विवरण,	06
04	परिभाषाएं, सामान्य जानकारी व निविदा की प्रक्रिया, सामान्य अर्हताएं, तकनीकी अर्हताएं, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग, निविदा निरस्ती के आधार, पावर आफ अटार्नी, अर्नेष्ट मनी, प्रतिभूति राशि, निविदा दरों की प्रस्तुती,	07–15
05	निविदा प्रस्तुत एवं जमा करने की प्रक्रिया व निर्देश, तकनीकी बिड का विश्लेषण, वित्तीय बिड का खोला जाना व विश्लेषण, निविदा दरों का परीक्षण एवं सफल परिवहनकर्ता का निर्धारण, अनुबंध (संविदा) निष्पादित करना	16–18
06	अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही, अनुबंध उपरान्त कार्य न करने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था, परिवहनकर्ता के कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व, परिवहनकर्ता को परिवहन के दौरान पेनाल्टीं, विशेष परिस्थिति में दण्ड की व्यवस्था, भुगतान	19–26
07	विविध– अनुबंध (संविदा) की अवधि, निविदा की वैधता, नियम बनाने का अधिकार/निर्देश दिये जाना/व्याख्या करना, संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि, विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मियों एवं उनके परिवार के परिवहन कार्य लेने हेतु प्रतिबंध, सरसरी तौर पर समापन, मुजरा (सेट–ऑफ), लेखा–बही निरीक्षण, Sub-letting पर प्रतिबंध, Cartelization, सत्यनिष्ठा संधि (भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि) Force-majeure, विवादों का निराकरण, निविदा निरस्ती	27–31
परिशिष्ट की जानकारी		
08	**परिशिष्ट–01** वर्ष 2025–26 में उपार्जित दलहन–तिलहन स्कंध की जिलेवार सूची एवं क्लस्टर हेड जिलों की सूची	32–34
09	**परिशिष्ट–02** निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण	35–36
10	**परिशिष्ट–03** निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सेक्टर्स हेतु निविदा प्रस्तुति की प्राथमिकता क्रम	37
11	**परिशिष्ट–04** तकनीकी निविदा के दस्तावेजों की चेकलिस्ट	38
12	**परिशिष्ट–05** खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य वर्ष 2026–28 वित्तीय बिड का प्रारूप ''अ'' एवं ''ब''	39–42
13	**परिशिष्ट–06** निविदाकार द्वारा निविदा के समय दिया जाने वाला घोषणा–पत्र	43
14	**परिशिष्ट–07** **PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT**	44–48
15	**परिशिष्ट–08** परिवहनकर्ता से अनुबंध का प्रारूप– 8(1) से 8(5) तक	49–58
16	**परिशिष्ट–09** टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र प्रारूप	59

Obtaining Digital Certificate

1) The Bid Data that is prepared online is required to be encrypted and the hash value of the Bid Data is required to be signed electronically using a Digital Certificate. This is required to maintain the security of the Bid Data and also be establishing the identity of the contractor transacting on the system.

2) The Digital Certificate are issued by an approved Certifying Authority authorized by the controller of Certifying Authorities of Government of India through their Authorized Representative upon receipt of document required to obtain a Digital Certificate.

3) Bid Data/Information for a particular E-tender may be submitted only using the Digital Certificate which is used to encrypt the data/information and sign the hash value during the Bid Preparation and has submission stage.

4) In case of online e-tendering, if the digital certificate issued to an authorized user of a partnership Firm is used for signing and submitting a bid, it will consider equivalent to a no objection certificate/power of attorney to that user to submit the bid on behalf of the Partnership Firm. The partnership Firm has to authorized a specific individual via an authorization certificate signed by a partner of the firm (and in case the applicant is a partner, another partner is the same firm is required to authorize) to use the digital certificate as per Indian Information Technology Act. 2000.

G.M. (P.S.S. PROCUREMENT)

निविदा दस्तावेज

खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन सह लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा अवधि वर्ष 2026–28

निविदा बावत जानकारी

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन सह लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु जिलों में सेक्टरवार **तृतीय** अल्पकालीन ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकार वेबसाइट **http://www.mpmarkfed.mp.gov.in** पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज जारी किया गया है :–

1.	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धता	यह निविदा दस्तावेज विपणन संघ की वेब साईट **http://www.mpmarkfed.mp.gov.in** पर सिर्फ अवलोकन– अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
2.	निविदा फार्म का क्रय मूल्य (समस्त कर सहित)	रूपए 5,000.00 (पॉच हजार मात्र) + प्रोसेसिंग शुल्क e-payment gateway के माध्यम से देय होंगे, जो किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
3	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि व समय	वेबसाईट **http://www.mptenders.gov.in** से दिनांक 19.05.2026 को समय दोपहर 02:00 बजे तक निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय एवं प्रस्तुत की जा सकती है।
4.	निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्थान	संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में
5.	निविदा खोले जाने की तिथी एवं समय	1. तकनीकी बिड ऑनलाइन खोलने की दिनांक 21.05.2026 को समय दोपहर 02.00 बजे से। 2. फायनेंशियल बिड ऑनलाइन खोलने की दिनांक 22.05.2026 को समय दोपहर 02.00 बजे से।

सूचना :– निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर–0120–4200462, 0120–4001002, 0120–4001005, 0120–6277787 18002588684 पर सुबह 10.00 बजे से सांय 7.00 या **eproc@nic.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टिप्पणी :–

निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तिथि व समय पर खोली जावेंगी।

परिचय

प्रिय निविदाकार,

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट 1912 एवं म0प्र0 स्टेट को–आपरेटिव सोसायटी ऑडिनेंस 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है जो कि वर्ष 1956 से कार्यरत है। विपणन संघ का वार्षिक टर्न ओव्हर रूपये **19,191.45 करोड़ है।** विपणन संघ द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जनहित के कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें रासायनिक खाद का विक्रय एवं समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, दलहन तिलहन आदि का उपार्जन एवं अन्य कृषि उपजों का विपणन व्यवसाय भी सम्मिलित है।

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा भारत सरकार की विकेन्द्रीकृत योजना/समर्थन मूल्य/प्राईस सपोर्ट स्कीम/मूल्य स्थिरीकरण योजना अंतर्गत धान गेहूँ, दलहन एवं तिलहन आदि का उपार्जन राज्य शासन की उपार्जन एजेंसी के रूप में करता है, साथ ही विपणन संघ द्वारा समय–समय पर कृषि उपजों की बाजार दरों पर स्वंय के खाते में एवं संयुक्त भागीदारी योजनांतर्गत व्यवसायिक खरीदी की जाती है, जिनके निर्धारित समयावधि में परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति की जाती है।

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जन स्कंध परिवहन कार्य खरीदी केन्द्रों पर उपार्जित स्कन्ध को संग्रहण केन्द्रों अथवा प्राधिकृत, अधिकृत निर्दिष्ट स्थानों तक परिवहन कराने हेतु विभिन्न जिलों में सेक्टरवार ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की गई हैं। **ये निविदाऐं वर्ष 2026–28 हेतु हैं।** कृपया विपणन संघ द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इस निविदा दस्तावेज का भली–भांति अध्ययन करें व विशेष रूप से भुगतान संबंधी कंडिका का अवलोकन कर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं सहित।

महाप्रबंधक
(दलहन–तिलहन उपार्जन)
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

-----------------X-----------------

1. <u>निविदा के उद्देश्य</u>

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य विपणन संघ द्वारा उपार्जित स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग एवं एल0आर0टी0 बारदाना सह लोडिंग एवं अनलोडिंग परिवहन कार्य के लिए सेक्टर स्तर पर सक्षम व कुशल परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर, निर्धारित अवधि के लिए करना है। सफल निविदाकार को अनुमोदित दरों पर निर्धारित शर्तों पर अनुबंध करना होगा।

2. <u>निविदा का संक्षिप्त विवरण</u>

<u>2.1 निविदा कार्य अवधि</u>

निविदाऐं कार्य अवधि वर्ष **<u>2026–2028</u>** तक के लिए आमंत्रित है, जिसमें निविदा उपरांत किया गया अनुबंध **<u>दिनांक से 31 अगस्त 2028</u>** तक मान्य होगा तथा आवश्यकतानुसार **कंडिका 25.1** के अनुसार इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकेगी।

<u>2.2 निविदा का कार्य क्षेत्र</u>

कार्य सुविधा की दृष्टि से एवं वर्ष 2025–26 के उपार्जन के आंकडों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. में आने वाले या होने वाले विभिन्न उपार्जनों हेतु जिलों को सेक्टर के रूप में विभाजित एवं जिलों को क्लस्टर के रूप में समाहित किया गया है। म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा एजेन्सी के रूप में उपार्जन करने हेतु जिलों में सेक्टर/क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसकी सूची <u>(परिशिष्ट–01)</u> में संलग्न है। प्रत्येक सेक्टर हेतु उपार्जन अवधि व अन्य समय में कार्य करने हेतु एक सक्षम परिवहनकर्ता की नियुक्ति इस निविदा के माध्यम से की जाना है। उपार्जन केन्द्र से सेक्टर के भीतर व सेक्टर के बाहर व आवश्यकता अनुसार अन्य जिलों में स्थित संग्रहण केन्द्रों, खरीदी केन्द्रों, निर्दिष्ट स्थानों पर स्कन्ध परिवहन सह अनलोडिंग जिले में एवं जिले से बाहर, एक जिले से अन्य जिलों में जूट एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन कार्य सह लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ऑनलाईन निविदाएं आहूत हैं। अनुबंधित परिवहनकर्ता को जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार उपार्जित स्कन्ध एवं बारदाना का परिवहन कार्य करना होगा।

<u>2.2.1 अनलोडिंग एवं स्टेकिंग में निम्न कार्य सम्मिलित है :–</u>

a) अनलोडिंग प्वाइंट पर ट्रक लगने के तत्काल बाद पर्याप्त संख्या में हम्मालों द्वारा वाहन की अनलोडिंग का कार्य शुरू करना।
b) अनलोडिंग के दौरान वाहन से बोरों को शीघ्रता से उतारना, निर्धारित स्टेक तक बोरों को ले जाना, स्टेक में व्यवस्थित रूप से स्टेक में जमा कर स्टेक को पूर्ण करना।
c) स्कंध अनलोडिंग उपरांत गोदाम परिसर में फैले स्कंध को साफकर, छानकर, बोरों में भरकर सिलाई लगवाकर स्टेक में लगवाना।
d) प्रतिदिन अनलोडिंग हेतु निर्धारित गोदाम अनलोडिंग क्षमता के आधार पर पर्याप्त संख्या में हम्मालों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित परिवहनकर्ता की होगी।
e) अनलोडिंग प्वाइंट से स्टेक प्वाइंट पर भिन्न–भिन्न दूरी होने पर व स्टेक की हाईट भिन्न–भिन्न होने पर उपरोक्त निर्धारित अनलोडिंग दरें पृथक–पृथक नहीं होगी। <u>अनलोडिंग का कार्य दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय विपणन संघ का होगा। जो कि निविदाकार को मान्य होगा।</u>

2.3 निविदा की कार्य मात्रा व कार्य क्षेत्र :–

गत वर्षो के विभिन्न उपार्जन के आंकडों के आधार पर म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा एजेन्सी के रूप में उपार्जन किए जाने वाले जिलों को विभिन्न सेक्टरों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यथा 40,000 मे0टन से कम एवं 40,000 मे0टन से अधिक मात्रा के परिवहन के सेक्टर। जिले में उपार्जित मात्रा तथा जिले में कम उपार्जित मात्रा को देखते हुये कम उपार्जन वाले जिलों को जोड़कर क्लस्टर बनाकर एक सेक्टर बनाया गया है। जिलेवार सेक्टरों की सूची (परिशिष्ट–01) में संलग्न है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

3 परिभाषायें

3.1 **शब्द ''संविदा''** अनुबंध शब्द का पर्यायवाची है और संविदा से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, निविदा आमंत्रण निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य और विशेष शर्तें भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जायें। यह संविदा Indian contract Act 1872 के अधीन होगी।

3.2 **शब्द ''विपणन संघ/संघ''** एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है सहकारिता अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित है।

3.3 **शब्द ''प्रबंध संचालक''** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ।

3.4 **शब्द ''परिवहनकर्ता''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म, कंपनी या सहकारी समिति आदि जिसके साथ परिवहन कार्य की संविदा की गई तथा परिवहनकर्ता इसमें यथास्थिति उनके वारिस/उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।

3.5 **शब्द ''संग्रहण केन्द्र''** से अभिप्रेत है, विपणन संघ के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम अथवा अन्य स्थान आदि जहॉ विपणन संघ स्कंध संग्रहण करना चाहता हो।

3.6 **शब्द ''गोदाम''** से अभिप्रेत है विपणन संघ एवं अन्य भण्डारण एजेन्सी यथा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, मंडी स्थित गोदाम, एवं अन्य शासकीय/सहकारी संस्थाओं/स्वयं या किराये पर लिये गये निजी गोदाम सम्मिलित हैं।

3.7 **शब्द ''प्रदाय केन्द्र''** केन्द्र से अभिप्रेत है, विपणन संघ के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम अथवा अन्य स्थल जिसमें उपार्जन केन्द्रों अथवा अन्य किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय एजेन्सी से शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा अन्य समस्त योजनाओं अथवा विपणन संघ के स्वयं के व्यवसाय के संचालन हेतु खाद/खाद्यान्न एवं बारदाना अन्य जिन्स व अन्य सामग्री का भण्डारण एवं प्रदाय किया जाता हो।

3.8 **शब्द ''एल.आर.टी.''** से अभिप्रेत है, लम्बी दूरी का परिवहन कार्य जिसमें स्थानीय परिवहन कार्य व किसी भी लीड में उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों से विभिन्न प्रदाय केन्द्रों या निर्दिष्ट स्थानों पर दलहन–तिलहन/बारदाना/उपार्जित स्कंध आदि अन्य जिन्सों एवं बारदानों को, म.प्र. के बाहर से/मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश से बाहर पहुंचाने अथवा लाने का परिवहन कार्य सम्मिलित है।

3.9 **शब्द ''अनलोडिंग''** से अभिप्रेत है उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात भंडारण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र/गोदाम स्तर पर ट्रक से स्कंध अनलोडिंग कार्य सम्मिलित है।

3.10 **शब्द ''स्टेकिंग''** से अभिप्रेत है विपणन संघ एवं अन्य भण्डारण एजेन्सी यथा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, मंडी स्थित गोदाम, एवं अन्य शासकीय/सहकारी संस्थाओं/स्वयं या किराये पर लिये गये, अधिग्रहित किये गये किसी भी निजी अथवा अन्य गोदाम में स्कंध के बोरे एवं बारदानों को सुव्यवस्थित स्टेक पर

लगाने का कार्य सम्मिलित है। स्टेक की उँचाई संबंधित स्कंध एवं बारदाना को गोदाम की क्षमता अनुसार भण्डारण नोडल एजेंसी द्वारा जो भी तत्समय निर्धारित की जायेगी उस अनुसार स्टेकिंग की जाने की बाध्यता रहेगी।

3.11 शब्द **''सेवाओं''** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है निविदा निर्देशों/शर्तों/नियमों में उल्लेखित कार्यों, की मदों में से किसी मद का संपादन। इसमें ऐसे सहायक अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्तव्य, सेवायें और संकार्य भी सम्मिलित हैं, जो जिला विपणन अधिकारी या केन्द्र में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्शाये जाएं।

3.12 शब्द **''भारी माल ट्रक''** से अभिप्रेत है, मशीन चलित ट्रक (ट्रक) जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भारी माल ट्रक के रूप में पंजीकृत हो तथा दलहन–तिलहन स्कंध एवं बारदाना के परिवहन हेतु उपयुक्त हो। निविदा दस्तावेज में **''भारी माल ट्रक''** के लिये ''ट्रक'' शब्द भी उपयोग किया गया है। **भारी माल ट्रक अंतर्गत पंजीकृत ट्रक में डम्पर एवं ओपन प्लेटफार्म वाहन इस कार्य हेतु मान्य नहीं होंगे।**

3.13 शब्द **''जिला विपणन अधिकारी''** से अभिप्रेत है, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ में जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला विपणन अधिकारी/प्रभारी मंडल प्रबंधक जिसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में वे संग्रहण केन्द्र आते हैं जिनके कार्य के लिये परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया है।

3.14 शब्द **''अनुमोदित दर''** से अभिप्रेत है वह दर या दरें, जिसे सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा ।

3.15 शब्द **''परिवहन कार्य''** से अभिप्रेत है स्कंध के ट्रकों में लोडिंग प्रारम्भ होने से उपलब्ध निकटस्थ वेब्रिज स्थल तक व उस वेब्रिज स्थल से गंतव्य स्थल तक परिवहन होकर तथा गंतव्य स्थल पर या उसके पास स्थित वेब्रिज पर पुनः तौल उपरांत स्कंध के वांछित स्थल पर अनलोडिंग पूर्ण होने तथा सुरक्षित रखे जाकर उपयुक्त पावती प्रस्तुती तक का कार्य है।

3.16 शब्द **''जिला स्तरीय कमेटी''** से अभिप्रेत है, कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

- **i.** **जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि।**
- **ii.** **संघ के मंडल प्रबंधक/प्रतिनिधि।**
- **iii.** **उप संचालक कृषि।**
- **iv.** **उप/सहायक आयुक्त सहकारिता।**
- **v.** **महाप्रबंधक/प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक।**
- **vi.** **संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी (संयोजक)।**

3.17 शब्द **''सेक्टर''** से अभिप्रेत है, राजस्व जिलों को परिवहन सुगमता हेतु एक जिलें को एक सेक्टर माना जावेगा तथा परिवहन कार्य की सुगमता को देखते हुये एक से अधिक जिलों का क्लस्टर बनाकर एक सेक्टर माना जावेगा। ऐसे जिले जिन्हें एक से अधिक सेक्टर में विभक्त नहीं किया गया है, वे इस निविदा के लिए उस जिले को एक सेक्टर माना जायेगा।

3.17.1 शब्द **''क्लस्टर''** से अभिप्रेत है, जिलो में उपार्जन की कम मात्रा के आधार पर 02 एवं 03 राजस्व जिलों को मिलाकार एक जिला सेक्टर बनाया गया है। परिवहन कार्य तीनों जिलों की सीमा का सम्पूर्ण कार्य किया जाना होगा तथा इसमें प्रथम नाम वाला जिला मुख्यालय होगा।

3.18 शब्द **''खाद्य पदार्थ''** से अभिप्रेत दलहन, तिलहन इत्यादि से है।

3.19 शब्द **''स्कन्ध''**से अभिप्रेत है, दलहन, तिलहन एवं बारदाना आदि जो परिवहन हेतु उपलब्ध कराया जाये।

3.20 शब्द **''स्थानीय परिवहन''** से अभिप्रेत है स्थानीय क्षेत्र में किया गया परिवहन कार्य। स्थानीय क्षेत्र से आशय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र विकास

प्राधिकरण इत्यादि स्थानीय संस्था के क्षेत्र की सीमा के अंदर तथा सीमा से बाहर 08 कि.मी. तक के क्षेत्र से है। उक्त सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानों को स्थानीय सीमा के अन्तर्गत माना जावेगा। उक्त समस्त क्षेत्रों में किये गये परिवहन को स्थानीय परिवहन माना जायेगा एवं इस क्षेत्रान्तर्गत किसी भी दूरी को 0 से 0 माना जायेगा तथा उक्त सीमा के अंतर्गत सभी संग्रहण केन्द्र आदि से तथा उन तक, किये परिवहन कार्य का स्थानीय स्वीकृत दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जैसे एल0आर0टी0 उपार्जन कार्य के संदर्भ में, उपार्जन केन्द्र/स्थानीय कृषि मण्डी/संग्रहण केन्द्र आदि से स्थानीय क्षेत्र के खरीदी केन्द्र/विपणन संघ एवं अन्य शासकीय एजेन्सी से संबंधित/उनके कब्जे या किराये पर लिये या उपयोग में लाये जा रहे गोदामों तक दलहन–तिलहन एवं बारदाना **वाईसवर्सा** आदि पहुँचाने का कार्य।

3.21 **शब्द ''लीड''** से अभिप्रेत दूरियों का स्लेब जो कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक/192(14)/2018 FC A/cs दिनांक 06–05–2019 Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & PD Department of Food and PD New Delhi के अनुरूप है। 0–8 कि.मी तक, 8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक, 20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी तक, 40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी तक, 80 कि.मी से अधिक।

3.22 **शब्द ''वर्ष''** से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष से है, जब तक इसे निविदा दस्तावेज में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो।

3.22.1 **शब्द ''परिवहन वर्ष''** से अभिप्रेत है परिवहन निविदा की निर्दिष्ट अवधि जैसी निविदा दस्तावेज में बताई गई है।

3.23 शब्द **''सहकारी समिति''** से अभिप्रेत है, एम.पी. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीकृत एवं वैध समिति जिन्हें उपार्जन नीति में वर्णित किया गया है।

3.24 **शब्द ''जिला कलेक्टर''** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा घोषित राजस्व जिले का कलेक्टर।

3.25 **शब्द ''सक्षम प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 में निविदा हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी।

3.26 **शब्द** ''दिवालिया'' (Bankrupt/Insolvent) से अभिप्रेत है कि जो The Insolvency and Bankruptcy code 2016 के सेक्शन 79(3) में परिभाषित है।

4. सामान्य जानकारी व निविदा की प्रक्रिया

4.1 **निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय** – निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन देय रहेगा। निविदा दस्तावेज के (टेंडर डाक्यूमेन्ट) शुल्क की राशि रू0 5,000/– (रू0 पॉच हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) **e-payment gateway** के माध्यम से देय होंगे। अर्थात किसी भी स्थिति में निविदा फार्म का क्रय मूल्य रू0 5,000/–वापिसी योग्य नहीं होगा।

4.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड में लगने वाले दस्तावेज स्केन कर ऑनलाईन कर अपलोड किए जाएंगे।

4.3 निविदाकार की संरचना :–

निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह **एकल स्वामित्व संस्था/फर्म** या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सहकारी समिति आदि के रूप में निविदा में भाग लेंगे।

निविदा में भागीदारी फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा। निविदाकार यदि चाहे तो ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि संविदा अवधि के दौरान निविदाकार के प्रतिनिधि के रूप में संविदा से संबंधित कार्यों को सक्रिय रूप से नियंत्रित व प्रबंधित करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के नाम, अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो नोटराईज्ड कराकर निविदाकार द्वारा अनुबंध के समय जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

ऐसे मनोनीत किये गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि उसे संविदा के संबंध में निविदाकार से सभी अधिकार विधिवत मुख्त्यारनामा में प्राप्त है और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिये बाध्य होंगे।

4.4 निविदाकार फर्म की स्थिति :–

निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान अपनी फर्म अथवा कंपनी की संरचना में परिवर्तन के संबंध में तत्काल विपणन संघ को सूचित करेगा तथा इस बावत् रजिस्ट्रार कंपनी/फर्म एवं सोसाईटीज कार्यालय को किए गए आवेदन से विपणन संघ को अवगत कराएगा। आवेदन पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी/फर्म एवं सोसाईटीज कार्यालय द्वारा दिए गए अनुमोदन/निर्णय को तत्काल विपणन संघ में प्रस्तुत करेगा। निविदाकार से प्राप्त संशोधित दस्तावेजों का परीक्षण विपणन संघ द्वारा किया जाएगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित निविदाकार को अवगत कराया जाएगा। निविदाकार अपने किसी साझेदार /संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में विपणन संघ को तत्काल सूचित करेगा। यदि फर्म की संरचना में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तो के अनुसार अनिवार्य हो जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटीज, मध्यप्रदेश अथवा रजिस्ट्रार कंपनी के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के सात दिन के भीतर विपणन संघ को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा।

जहां परिवहनकर्ता भागीदार फर्म है विपणन संघ की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जावेगा। नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि यह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किये गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है।

संविदा के पूर्ण होने के पूर्व परिवहनकर्ता फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु/सेवानिवृत्त होने पर संबंधित फर्म द्वारा नई पार्टनरशिप डीड जमा करनी होगी, जिससे कि भागीदार के मृत्यु या सेवानिवृत होने के बाद की स्थिति स्पष्ट हो सके। ऐसा नहीं करने पर उक्त फर्म के अनुबंधकर्ता के रूप में निरंतर रखे जाने के संबंध में उचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जायेगा।

यदि फर्म डिजाल्व हो जाती है, तो फर्म की जमानत राशि राजसात की जा सकेगी, और पुनः निविदा की जायेगी। विपणन संघ अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है तथा ऐसी दशा में परिवहनकर्ता फर्म को विपणन संघ के विरूद्ध किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा। फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी यदि संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्यों के लिये उत्तरदायी होना तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उसके द्वारा विपणन संघ को पंजीकृत डाक से भागीदार अधिनियम की धारा–32 के अतंर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती।

5 सामान्य अर्हताएं :–

प्रत्येक निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित सामान्य अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा :–

5.1 निविदाकार के स्वयं एवं प्रोपराईटर होने के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को निविदाकार को वयस्क एवं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यदि निविदा भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की ओर से प्रस्तुत की जा रही है तो उसका या उक्त भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति का संबंधित अधिनियम अथवा नियम अंतर्गत निविदा प्रस्तुती दिनांक को वैध पंजीयन होना अनिवार्य है।

5.2 निविदाकार या उसके किसी भी पार्टनर को दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।

5.3 निविदाकार स्वस्थ्य मानसिक स्थिति में होना चाहिए।

5.4 निविदाकार के पास वैध पेन नम्बर (PAN NUMBER) होना अनिवार्य है।

5.5 निविदाकार के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विवादों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को इसमें शामिल नहीं किया जावेगा। किन्तु फर्म संबंधी यदि कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे निविदाकार निविदा में भाग तो ले सकेंगे, लेकिन निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार द्वारा इसकी जानकारी दी जाना होगा। इसके साथ–साथ यदि न्यायालयीन प्रकरण से विपणन संघ को किसी प्रकार की हानि या क्षति होती है तो उस स्थिति में अथवा न्यायालय द्वारा दोषी करार होने पर अनुबंध निरस्त किया जाकर समस्त वसूली योग्य राशि यदि कोई है तो उसकी वसूली की जायेगी।

5.6 **मुझे, मेरी फर्म को अथवा किसी भागीदार को निविदा भरने की दिनांक में ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है।** निविदाकार या उसके किसी भी पार्टनर/पार्टनर्स या सदस्य का नाम शासन/शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था से परिवहन कार्य हेतु निविदा दिनांक को प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इस आशय का स्वप्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा निर्धारित घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट–6) अनुसार निविदा प्रस्तुत करने के दौरान अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऐसे निविदाकार द्वारा निविदा में भाग लिये जाने पर निविदाकार की निविदा यथा स्थिति में निरस्त करते हुए, काली सूचीबद्ध किया जाएगा, तथा ऐसे निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) भी जब्त की जाएगी।

विशेष :– अपलोड किया जाने वाला घोषणा पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड होना चाहिए एवं निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित ऑनलाईन निविदा जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व (निविदा सूचना प्रकाशन एवं निविदा प्रस्तुती हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के मध्य) का होना चाहिए। प्रत्येक सेक्टर के लिए पृथक–पृथक घोषणा पत्र होना चाहिए।

5.7 सफल निविदाकार को आवंटित कार्य अहस्तांतरणीय रहेगा।

5.8 सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

5.9 निविदाकार को **कंडिका क्र. 6** में दी गई सभी तकनीकी अर्हताओं का पालन करना होगा।

5.10 गोदाम पर अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य परिवहनकर्ता को दिये जाने का अंतिम निर्णय विपणन संघ का होगा।

5.11 निविदाकार द्वारा निविदा भरते समय स्कंध परिवहन एवं अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु/बारदाना परिवहन हेतु एकजाई तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत की जायेगी।

5.12 निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित सभी शर्ते अनुबंध का हिस्सा मानी जावेंगी।

5.13 **निविदा के संबंध में समय–समय पर जारी शुद्धि पत्र निविदा का भाग होगें, जिसकी सूचना समय–समय पर विपणन संघ एवं एम0पी0 टेन्डर्स की बेवसाईट पर दर्शित होगी।**

5.14 **एम0 पी0 टेन्डर्स पर जारी कार्योदेश एवं अन्य प्रकिया के साथ–साथ विपणन संघ द्वारा जारी ऑफलाईन आदेश भी मान्य होगें।**

5.15 **इस निविदा की समस्त कंडिकाऐं, नियम एवं शर्ते एम0पी0 टेन्डर्स की सामान्य शर्तो को समाप्त (SUPERSEAD) करते हुये निविदा की शर्ते मान्य होगी।**

6. तकनीकी अर्हताएं

6.1. निविदाकार की सामान्य जानकारी

निविदाकार को अपना/अपने फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/संस्था/सहकारी समिति का परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। निविदाकार के द्वारा परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के (परिशिष्ट–2) को पूर्णतः भरकर स्केन कर अपलोड करना होगा। स्वामित्व/ फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति होने की स्थिति में संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की तरफ से विधिक रूप से अधिकृत होने संबंधी अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा की नोटराईज्ड कॉपी स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है।

निविदाकार को अपना वैध मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई. डी. भी प्रदाय करना होगा, जिससे कि उससे समय–समय पर संपर्क स्थापित किया जा सकें।

6.2. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) –

निविदाकार के द्वारा तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट e-payment के माध्यम से **http://www.mptenders.gov.in** पर ऑन लाईन जमा करना होगा। **यह राशि एक सेक्टर हेतु रू. 02.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) निर्धारित की गई है।**

6.3 आयकर विवरण :–

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति जिसके नाम से निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसके नाम का आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा है। **चार वित्तीय वर्ष, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में से कोई तीन वित्तीय वर्ष का आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

6.4. जी0एस0टी0 :–

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति जिसके नाम से निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर), प्रदाता के रूप में विभाग से पंजीयन होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.5. स्थापना पंजीयन प्रमाण–पत्र

निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनिम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। निविदाकार को उक्तानुसार पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। सहकारी समिति को नियमानुसार रजिस्टार फर्म एंड सोसाईटिज का पंजीयन प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

6.6 डम्पर एवं ओपन प्लेटफार्म वाहन के रूप में मान्य नहीं होंगे।

6.7. टर्न ओव्हर

1. निविदाकार को विगत चार वित्तीय वर्षो 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के टर्न ओव्हर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, विगत चार वित्तीय वर्षो 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में से तीन वर्षो के परिवहन कार्य का टर्न ओव्हर का योग कुल न्यूनतम टर्न ओव्हर उस सेक्टर हेतु नीचे दी गई तालिका अनुसार भी होना चाहिए। यह टर्न ओव्हर की न्यूनतम सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि निविदाकार द्वारा किस सेक्टर हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। सेक्टरवार वांछित न्यूनतम टर्न ओव्हर की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

सरल क्र.	सेक्टर में पूर्व के वर्ष में कुल उपार्जित स्कंध की मात्रा (मे0टन)	विगत चार मे से कोई तीन वर्षो का योग न्यूनतम टर्न ओव्हर
1	40,000 मे0टन तक	50.00 लाख
2	40,000 मे0टन से अधिक	1.00 करोड़

नोटः— सुलभ संदर्भ हेतु मात्रात्मक अनुसार सेक्टरों की सूची (परि0—01) में दर्शायी गई है।

2. सहकारी समिति होने की स्थिति में चार मे से तीन वित्तीय वर्षो 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम रूपए 12 लाख में परिवहन कार्य हेतु ही हो, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी, किन्तु समिति का अन्य व्यवसाय के माध्यम से भी न्यूनतम टर्न ओव्हर 12 लाख **(किन्हीं भी तीन वर्ष में कुल रूपये 36 लाख)** रूपए होना आवश्यक है।

टर्न ओव्हर प्रमाणन हेतु फर्म का वार्षिक वित्तीय पत्रक यथा ट्रेडिंग, प्रोफिट एंड लॉस एवं बेलेन्स शीट जिसे चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, की स्व—प्रमाणित छायाप्रति स्केन कर अपलोड करना होगा। इसके साथ—साथ निविदाकार को चार्टड एकाउटेंट के द्वारा प्रमाणित पिछले चार में से कोई तीन वित्तीय वर्षो 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 के टर्न ओव्हर की जानकारी निविदा दस्तावेज के निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—09) में निविदा के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा। उक्त प्रमाण—पत्र की वैधता/सत्यता हेतु प्रमाण—पत्र का **UNIQUE DOCUMENT IDENTIFICATION NUMBER (UDIN)** प्रदाय करना अनिवार्य होगा। **(UDIN)** नम्बर कैसे प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी इस पोर्टल **https://udin.icai.org** पर देखी जा सकती है। उक्त **UNIQUE DOCUMENT IDENTIFICATION NUMBER (UDIN)** जनरेट कर प्रदाय करने की जिम्मेदारी संबंधित चार्टड एकाउंटेंट की होगी।

6.8. एक से अधिक सेक्टर के संदर्भ में प्राथमिकता :—

जिलेवार वरीयता कम में सेक्टर्स की जानकारी जहाँ पर निविदाकार कार्य करने हेतु परिशिष्ट—3 में अनिवार्य रूप से भरना होगा। यद्यपि सेटर्स का निर्धारण विभाग जिलों के विभिन्न सेक्टर्स में प्राप्त न्यूनतम एल—1 की दरों के आधार पर किया जावेगा। निविदाकार विभिन्न जिलों के लिए होने वाले सेक्टर्स के लिए पृथक—पृथक निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। निविदाकार द्वारा एक या एक से ज्यादा सेक्टर हेतु निविदाएं प्रस्तुत की जाती है, तो एक से अधिक सेक्टर में एल—1 की स्थिति में मुख्यालय स्तर पर जो निर्धारित न्यूनतम दरें दायरे में आयेंगी, उन्हें जिस सेक्टर में दरें कम होंगी उस सेक्टर का कार्य एवार्ड किया जाएगा। एक निविदाकार को अधिकतम तीन सेक्टर्स से अधिक में कार्य आंवटित नही किया जायेगा।

07 अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य :—

निविदाकार, जिनके द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के जिलों में सेक्टरवार उपार्जन स्कंध परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर तौलकर अनलोडिंग व स्टेकिंग करने एवं जिलों में तथा एक जिले से अन्य जिलों में **बारदाना गठान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर/खरीदी केन्द्र पर बारदाना गठान अनलोडिंग व स्टेकिंग** कार्य किये जाने हेतु ई—निविदा प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसके नियमों एवं शर्तो का भली—भांती अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे।

7.1 अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु मुख्य अर्हताएं :—

a) म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ऑनलाईन आमंत्रित निविदाओं में जिला/सेक्टरवार उपार्जन स्कंध परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर तौलकर अनलोडिंग

व स्टेकिंग का कार्य किया जाना है, इस हेतु (परिशिष्ट–4) में उल्लेखित भविष्य निधि पंजीयन एवं **ESIC** पंजीयन की स्व–प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।

b) निविदाकार/फर्म/व्यक्ति को श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण–पत्र अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा।

7.2 **दलहन–तिलहन** परिवहन कार्य में लोडिंग कार्य सम्मिलित नहीं है तथा लोडिंग कार्य समिति द्वारा कराया जावेगा, जो **SLC** द्वारा निर्धारित दर **रू0 50** प्रतिटन के मान से लोडिंग समिति को देय होगी। बारदाना परिवहन की दशा में लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य परिवहनकर्ता द्वारा किया जावेगा।

08. निविदा निरस्ती के आधार :–

8.1 **परिशिष्ट–4** में उल्लेखित चेक लिस्ट के अनुसार तकनीकी बिड में वांछित समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति को स्केन कर अपलोड नहीं किया जाना।

8.2 **परिशिष्ट–2** में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाकर यदि निविदा दस्तावेज ऑनलाईन में अपलोड किया जाता है तो मान्य नहीं किया जावेगा।

8.3 निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में कूट–रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना।

8.4 निविदाकार द्वारा यदि निर्धारित टर्न ओव्हर के प्रमाण–पत्र में UDIN नहीं दिया जाता या गलत दिया जाता है, तो निविदा यथा स्थिति में निरस्त की जाएगी एवं संबंधित निविदाकार एवं चार्टर्ड एकाउटेंट के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

8.5 निविदाकार द्वारा निविदा में अमानत राशि जमा न करना।

8.6 तकनीकी बिड के दस्तावेजों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय दरों को प्रदर्शित करना या वित्तीय दरों के प्रपत्रों को तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करना।

09. पावर ऑफ एटार्नी :–

निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं हैसियत (जैसे–स्वामी/भागीदार/कंपनी सचिव/प्रबंध संचालक/मुख्त्यार या संचालक अनिवार्यतः स्पष्ट करेंगे। निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होती है तो, इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर आफ एटार्नी दस्तावेज स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। कंपनी/फर्म/समिति द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी की जाती है तो पॉवर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी संचालकों/भागीदारों/पदाधिकारियों के नाम सहित फर्म/कंपनी /समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील सहित होना अनिवार्य है।

10. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)

10.1 एक निविदा फार्म में एक सेक्टर हेतु ही दरें भरी जायेंगी। अतः एक निविदा फार्म के साथ सेक्टरवार पृथक–पृथक अमानत राशि के अनुसार निर्धारित **e-payment getway** के माध्यम से ऑनलाईन जमा करें तथा ई–रिसिप्ट/एन0ई0एफ0टी0 चालान की प्रति स्केन कर निविदा के साथ प्रस्तुत करें। निविदाकार यह विशेष ध्यान रखें की बैंक को राशि प्रेषण में लगने वाले बैंक चार्जेस/कमीशन आदि का भुगतान उन्हें पृथक से करना है।

10.2 उपार्जन नीति अनुसार उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु पात्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंधित एवं म0प्र0 राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाओं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के आदेश क्रमांक/विपणन/2013/869 दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं के निविदाकार होने की स्थिति में उन्हें अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष नोटः—वांछित अमानत राशि (EMD), निविदा के साथ जमा किये जाने का विवरण निविदा दस्तावेज के <u>परिशिष्ट—2 के अनुक्रमांक—12 पर दर्शित है। अमानत राशि की रसीद स्केन कर अपलोड करना होगा।</u>

10.3 किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ या अन्य कार्य हेतु जमा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिये जमा नहीं माना जायेगा।

10.4 अमानत राशि निविदाकार द्वारा निविदा में दिए गए जिस बैंक खाता नम्बर से जमा की गई है उसी खाते में विपणन संघ के द्वारा **https://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से निम्न व्यवस्था के अनुसार वापस की जायेगी :—

10.4.1 सफल निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) अनुबंध निष्पादित करते समय प्रतिभूति राशि में समायोजित नहीं की जावेगी एवं अनुबंध की प्रति जिला कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत संबंधित जिला कार्यालय द्वारा अमानत राशि वापसी हेतु निविदाकार से आवेदन प्राप्त कर तत्काल मुख्यालय प्रेषित किये जावेगें, ताकि निविदाकार की अमानत वापिस की जा सके। इसी प्रकार तकनीकी बिड में असफल निविदाकारों की अमानत राशि **MP Tender** के माध्यम से वापिस की जावेगी।

10.4.2 किसी भी स्थिति में अमानत राशि **(अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)** पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

10.4.3 अमानत/प्रतिभूति राशि **(अर्नेस्ट मनी/सिक्यूरिटी एमाउंट)**, वापसी का आवेदन एवं अन्य पत्राचार करते समय निविदाकार जिला/सेक्टर के विवरण के साथ आवश्यक रूप से सम्बंधित निविदा का टेण्डर क्र0 (**MP Tender** की टेंडर आईडी) उल्लेखित करें। इस हेतु टेण्डर अपलोड करते समय ही यह टेण्डर नम्बर (**MP Tender** की टेंडर आईडी) नोट कर लिया जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

10.4.4 असफल निविदाकार को अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) वापसी हेतु पृथक से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा सफल निविदाकार के अनुबंध करने के उपरांत समस्त निविदाकारों की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) मुख्यालय स्तर से पोर्टल के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी।

11. प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) :—

11.1 सफल निविदाकार को निर्धारित अवधि में निम्नानुसार प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध करना होगा :—

कंडिका क्र.	विवरण	
11.1.1	प्रति जिला/सेक्टर प्रतिभूति राशि	स्कंध परिवहन हेतु राशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) एवं बारदाना परिवहन राशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) कुल राशि रू0 20.00 लाख निर्धारित की गई है।

<u>सफल निविदाकार को अनुबंध करते समय उपरोक्तानुसार राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय के निर्धारित खाते में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा करना होगी।</u>

11.2 उपार्जन नीति अनुसार उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु पात्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंधित एवं म0प्र0 राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाओं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के आदेश क्रमांक/ विपणन/2013/869 दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं के निविदाकार होने की स्थिति में उन्हें निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) जमा कर अनुबंध करना होगा।

11.3 सफल निविदाकार को अनुबंध करते समय उपरोक्तानुसार प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) पृथक से विपणन संघ के निर्धारित खाते में जमा करना होगी।

11.4 प्रतिभूति राशि जमा करने के पश्चात संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा सफल निविदाकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

11.5 किसी भी स्थिति में प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

11.6 संविदा के समाप्त होने की स्थिति में भी विपणन संघ देयताऐं, हानि एवं क्षति, प्रतिभूति की राशि तथा रेवन्यू रिकवरी या सिविल वाद के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी के द्वारा आर0आर0सी0 के रूप में वसूला जा सकेगा।

11.7 प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) की वापसी जिला विपणन अधिकारी द्वारा मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही संबंधित निविदाकार को स–समय वापस की जावेगी। प्रतिभूति राशि की वापसी कार्य पूर्णतः संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र तथा अदेय (नो–ड्यूज) प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत ही की जा सकेगी।

12. निविदा दरों की प्रस्तुती

12.1 दलहन–तिलहन एवं बारदाना सह–लम्बी दूरी परिवहन कार्य हेतु दरें, जिलेवार/सेक्टरवार आमंत्रित हैं।

12.2 निविदाकार को दलहन–तिलहन परिवहन एवं बारदाना परिवहन की दोनों परिवहन हेतु दरें अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाना होगी। यदि निविदाकार द्वारा एक ही परिवहन की दरें प्रस्तुत की जाती है, तो वह निविदा मान्य नहीं होगी।

12.3 दलहन तिलहन परिवहन एवं एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन की पृथक–पृथक एल–01 दरें प्राप्त होने की स्थिति में पृथक–पृथक निविदाकार/परिवहनकर्ता की नियुक्ति की जा सकेगी।

12.3.1 निविदाकार द्वारा भरी गई दरें व्यवहारिक/अव्यवहारिक हैं, अथवा नहीं यह निर्णय करने का अधिकार विपणन संघ के प्रबंध संचालक का होगा। निविदा में भरी गई दरें अव्यवहारिक प्रमाणित होने पर ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी व निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

12.4 भारत शासन के निर्देश कमांक 192(14)/2018 FC A/cs दिनांक 06–05–2019 **Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & PD Department of Food and PD New Delhi** के नवीन निर्देशानुसार निर्धारित लीड्स अनुरूप **S.O.R. (शेड्यूल ऑफ रेट्स)** दरों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत परिवहन भाड़े की राशि का भुगतान संचयी लीड्स के आधार पर किया जाएगा। अतः दर डालने के पूर्व भुगतान पद्धति से भलिभांति अवगत हो लें।

12.5 निविदाकार की सुविधा के लिए **S.O.R. (शेड्यूल ऑफ रेट्स)** अनुसार दरों की गणना शीट **(पृष्ठ क्रमांक–40)** पर उदाहरणार्थ उपलब्ध हैं।

12.6 निविदाकार द्वारा दलहन–तिलहन एवं बारदाना परिवहन हेतु **S.O.R. (शेड्यूल ऑफ रेट्स)** अनुसूची की दर के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत के रूप में ऑफर दिया जाएगा, जो प्रतिशत उसके द्वारा वित्तीय ऑफर में दिया जाएगा वह उस सेक्टर के सभी लीडों में समान रूप से लागू होगा, अर्थात निविदाकार भिन्न–भिन्न लीडों के लिए भिन्न–भिन्न प्रतिशत नहीं दें सकेंगे एवं दलहन–तिलहन स्कंध के अनलोडिंग के लिए समान प्रतिशत लागू होगा। बारदाना की लोडिंग एवं अनलोडिंग में **S.O.R.** वृद्धि/कमी के प्रतिशत को मान्य नहीं किया जावेगा।

एम0पी0 टेन्डर्स के प्रावधान के अनुसार बेसएसओआर 100 माना जाता है। BSOR 0 से **100% तक एवं A SOR 100% से अधिक होगी।**

(a) यदि किसी निविदाकार द्वारा 100% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X100% =Rs.100 यानि बेस0एस0ओ0आर के समतुल्य मानी जाएगी। (BASE SOR)

(b) यदि किसी निविदाकार द्वारा 60% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X60% =Rs.60 मानी जाएगी अर्थात 40% BASE SOR से कम दर है। (40% Below SOR)

(c) यदि किसी निविदाकार द्वारा 120% दरें भरी जाती है तो वह रूपये 100X120% =Rs.120 मानी जाएगी अर्थात BASE SOR से 20% अधिक मानी जाएगी। (A SOR 20%)

12.7 **स्पष्ट किया जाता है कि वृद्धि/कमी के प्रतिशत के साथ मूल S.O.R. दरों पर भी निविदाकार द्वारा दरें प्रस्तुत की जा सकेंगी अर्थात S.O.R. के शून्य प्रतिशत वेल्यू पर भी निविदा दरें मान्य होगी। जो प्रतिशत दर निविदा में भरी जायेगी, वहीं प्रतिशत दर दलहन–तिलहन स्कंध के अनलोडिंग के बेस S.O.R. दर पर अधिक/कम पर लागू रहेगी।**

12.8 S.O.R. (शेड्यूल ऑफ रेट्स) परिवहन दरों में लोंडिग/अनलोडिंग में व्यय शामिल नहीं है और ना ही शामिल किया जाना है। अतः दलहन–तिलहन के परिवहन एवं अनलोडिंग कार्य हेतु दरों में वृद्धि/कमी का प्रतिशत प्रस्तुत किया जावे। **बारदाना परिवहन में लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु दरो में वृद्धि/कमी का प्रतिशत मान्य नहीं किया जावेगा।**

12.9 निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करते समय सभी प्रकार के करों, शुल्क, उपकर, चुंगी, टौल टैक्स इत्यादि सम्मिलित कर ही अपनी दरें प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदा प्रस्तुत एवं जमा करने की प्रक्रिया व निर्देश

13.1 परिशिष्ट–4 अनुरूप सभी निविदाएं प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से संबोधित कर प्रस्तुत की जाएगी। (परिशिष्ट–4) में उल्लेखित विषय के कॉलम में सेक्टर का नाम एवं कार्य के विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

13.2 निविदाएं भौतिक रूप से नहीं ली जाएँगी। निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों ही ऑनलाईन होंगे। संबंधित सभी दस्तावेज निविदा खुलने की दिनांक एवं समय से पूर्व के ही मान्य किये जावेंगे। निविदाएं **https://www.mptenders.gov.in** कार्यक्रम में दी गई अवधि अनुसार जमा एवं खोली जायेंगी।

13.3 तकनीकी निविदा में निम्नलिखित दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क्र.	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	वांछित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीहॉ/नहीं में लिखें
1.	निविदाकार का संक्षिप्त विवरण एवं परिचय	परिशिष्ट–02	
2.	अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा (नोटराईज्ड) अगर वांछित हो तो		
3.	कंपनी/पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति		
4.	निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति। सहकारी समिति को नियमानुसार रजिस्टार फर्म एंड सोसाईटिज का पंजीयन प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 6.6 अनुसार		
5.	**वित्तीय (चार वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) इन चार वित्तीय वर्षो में से कोई तीन वित्तीय वर्ष का आयकर विवरणी की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।**		
6.	1. विगत चार वित्तीय वर्षो (वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षो के कुल टर्न ओव्हर की जानकारी (निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक–6.7 के बिन्दु क्रमांक–1 अनुसार) 2. समिति होने की स्थिति में विगत चार वित्तीय वर्षो (वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षो के कुल टर्न ओव्हर की जानकारी (निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक–6.7 के बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार)	परिशिष्ट–09	
7.	आयकर स्थायी खाता क्रमांक **(PAN NUMBER)** स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
8.	जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।		

9.	भविष्य निधि खाता क्रमांक एवं **ई.एस.आई.सी.** पंजीयन एवं दोनों की प्रमाणित प्रति।		
10.	**EMD की** ई–रिसिप्ट / एन0ई0एफ0टी0 चालान की प्रति स्केन कर अपलोड करें।		
11.	निविदा आमंत्रण में निविदाकार द्वारा कितने सेक्टर्स में भाग लिया है एवं निविदा प्रस्तुती के जिले की प्राथमिकता क्रम की जानकारी, इस आशय का घोषणा–पत्र	**परिशिष्ट–03**	
12.	घोषणा–पत्र (नोटराईज्ड)	**परिशिष्ट–06**	
13.	सत्यनिष्ठा संधि अनुबंध प्रारूप **PRE -CONTRACT INTEGRITY PACT**	**परिशिष्ट–07**	

13.4 वित्तीय बिड (फाइनेंशियल बिड) की प्रस्तुति

निविदाकार वित्तीय बिड के निर्धारित **परिशिष्ट–05** में दिये गये प्रोफार्मा के अनुरूप वेबसाइट पर दर्शित फाइनेंशियल बिड प्रोफार्मा में अधिकृत व्यक्ति ऑन लाईन दर प्रस्तुत करेगें।

13.5 निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर

स्वामित्व / फर्म / कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा दस्तावेजों पर डिजीटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्न तालिका में उल्लेख अनुसार निविदाकारों के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु उन्हें निविदा प्रस्तुत करने की अधिकारिता का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं0	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)
4	सहकारी समिति	समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति

13.6 तकनीकी एवं वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात किसी भी स्थिति में संशोधन एवं निविदा वापसी करना संभव नहीं होगा।

13.7 यह निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि व समय पूर्व तकनीकी व फायनेंशियल बिड ऑनलाईन जमा करना सुनिश्चित करें। निविदा की वेब साईट डाउन होने अथवा निविदाकार द्वारा समय पर ऑनलाईन बिड प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

13.8 निविदाकार द्वारा अपने डिजीटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अभिप्रायः माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति तथा कार्य की महत्ता आदि समझ ली है एवं उन्हें स्वीकार कर लिया है।

14. निविदा खोलने की प्रक्रिया :–

14.1 एन.आई.टी. अनुरूप निविदा दस्तावेज अनुसार निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर नियुक्त जिला उपार्जन समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष ऑन लाईन तकनीकी बिड खोली जावेंगी, इस हेतु निविदाकारों को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। निविदाएं खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते हैं, परन्तु निविदाकार की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु समय बढ़ाये जाने का आधार मान्य नहीं होगा एवं जिला उपार्जन समिति द्वारा तकनीकी बिड को खोलकर विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

14.2 तकनीकी व अन्य कारणों से यदि निर्धारित दिनांक व समय पर तकनीकी निविदा जिला उपार्जन समिति द्वारा खोला जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो समिति निर्णय कर किसी अन्य दिनांक व समय पर तकनीकी निविदा खोलने का निर्णय ले सकती है, इस परिस्थिति में यथा संभव तकनीकी निविदाकारों को सूचना दिया जाना अपेक्षित हैं।

14.3 तकनीकी निविदा खोलने के उपरांत यदि जिला उपार्जन समिति को किसी दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि अथवा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है या अन्य

किसी कारण से निर्धारित दिनांक व समय पर वित्तीय निविदा खोला जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में समिति निर्णय कर वित्तीय निविदा खोलने के दिनांक व समय को बढ़ा सकती है, परन्तु निर्धारित दिनांक व समय के पूर्व नहीं कर सकती है।

15. तकनीकी बिड का विश्लेषण :–

15.1 तकनीकी बिड में निविदाकारों के अनिवार्य दस्तावेजों का परीक्षण निर्धारित जिला उपार्जन समिति के स्तर पर किया जावेगा। जिला उपार्जन समिति सभी असफल निविदाओं के असफल होने के कारणों को कार्यवाही विवरण में उल्लेखित करेगी। तकनीकी बिड में जो निविदाकार असफल पाये जावेंगे, उन्हें इस आशय की सूचना संबंधित जिला उपार्जन समिति द्वारा दी जावेगी, कि वे किन अनिवार्य दस्तावेजों की पूर्ति न करने के कारण असफल हुये हैं व इस संबधं में ऐसे निविदाकारों को अपना पक्ष जिला उपार्जन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 48 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। असफल निविदाकारों की फायनेंशियल बिड जिला उपार्जन समिति द्वारा नहीं खोली जावेगी। जिला उपार्जन समिति का निर्णय बंधनकारी होगा तथा इस स्तर पर कोई भी आर्बीट्रेशन या अपील मान्य नहीं होगी।

15.2 तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित **जिला उपार्जन समिति** का विवेकाधिकार होगा कि वह निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत किसी दस्तावेज के संदर्भ में संबंधित निविदाकार से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकती है, परन्तु समिति द्वारा इस माध्यम से नए व पृथक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे स्पष्टीकरण का जवाब, **जिला उपार्जन समिति** द्वारा वित्तीय निविदा खोलने के नियत समय के पूर्व ही प्राप्त कर लिया जावे। निविदाकार द्वारा स्पष्टीकरण नियत समय तक अप्राप्त रहने पर निविदाकार का उक्त स्पष्टीकरण देने का अधिकार समाप्त माना जाएगा।

15.3 **जिला उपार्जन समिति** के सभी सदस्यों के द्वारा तकनीकी बिड में संलग्न सभी दस्तावेजों पर अपने पद नाम व तिथि अंकित करते हुए, हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

16 वित्तीय बिड का खोला जाना एवं विश्लेषण

16.1 **जिला उपार्जन समिति** द्वारा तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों के निर्धारण पश्चात उन्हें वित्तीय निविदा खोले जाने की दिनांक, समय एवं स्थान हेतु संसूचित किया जावेगा व इस स्तर पर तकनीकी रूप से असफल निविदाकारों के द्वारा की गई किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16.2 वित्तीय निविदा केवल तकनीकी बिड में सफल हुए निविदाकारों की ही विपणन संघ मुख्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर खोली जावेंगी, जो जिला स्तर पर भी देखी जा सकेगी।

16.3 निविदाएं खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते हैं, परन्तु निविदाकार की अनुपस्थिति में वित्तीय निविदा खोले जाने हेतु समय बढ़ाये जाने का आधार मान्य नहीं होगा एवं सक्षम समिति वह निविदाओं को खोलकर विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

16.4 निविदाकार द्वारा वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की गई दरों का **जिला उपार्जन समिति** द्वारा परीक्षण किया जावेगा तथा न्यूनतम दरें व्यवहारिक अथवा अव्यवहारिक है, जिसकी दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हेतु अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जावेगा।

16.5 निविदा खुलने के पश्चात निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

17. निविदा दरों का परीक्षण एवं सफल परिवहनकर्ता का निर्धारण :–

17.1 **जिला उपार्जन समिति** द्वारा वित्तीय निविदा में जिसकी दरें प्रतिशत के रूप में न्यूनतम होंगी, उसे एल–1 निविदाकार माना जाएगा। इसी प्रकार से दरों के बढ़ते क्रम में एल–2, एल–3 एवं अन्य निविदाकारों का निर्धारण किया जावेगा।

17.2 किसी सेक्टर में दो या दो से अधिक निविदाकार की दरें समान (TIE) होने की स्थिति में एल–1, एल–2 एवं एल–3 निविदाकार का निर्धारण पर **जिला उपार्जन समिति** के समक्ष लॉट (Lot) निकालकर किया जावेगा।

17.3 **जिला उपार्जन समिति** वित्तीय निविदा खुलने के उपरांत संबंधित सेक्टर में प्राप्त दरों का परीक्षण व विश्लेषण उपरांत स्पष्ट अनुशंसा/अभिमत सहित प्रस्ताव दर की स्वीकृति हेतु म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्यालय भोपाल को प्रेषित करेगी।

17.3.1 मुख्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर दरों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कार्यवाही विपणन संघ के प्रबंध संचालक के अनुमोदन अनुसार की जावेगी।

17.4 प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एक मात्र पात्र निविदाकर्ता की दरें भी दरों की उपयुक्तता (**REASONABILITY OF RATES**) के परीक्षण उपरांत स्वीकृत की जा सकेंगी।

17.5 **जिला उपार्जन समिति** के प्राप्त प्रस्तावों में से ऐसे प्रकरण जो कि प्रबंध संचालक के द्वारा S.O.R. (शेड्यूल ऑफ रेट्स) की राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ रखने हेतु योग्य पाये जायेगें, ऐसे प्रकरणों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए निर्णय लिया जावेगा।

17.6 उपरोक्तानुसार निविदा में एल–1 दरों के अनुमोदन उपरांत एल–1 निविदाकार को जिला विपणन अधिकारी द्वारा LOA (**LETTER OF ACCEPTANCE**) जारी करते हुए, अनुबंध निष्पादन हेतु सूचित किया जाएगा।

17.7 निविदाकार के न्यूनतम होने पर भी कार्य प्राप्त करने का अधिकार स्वयं अर्जित नहीं होगा। दरों की उपयुक्तता के आधार पर उक्त एल–1 परिवहनकर्ता को कार्य दिया जाना है अथवा नहीं इसका अधिकार प्रबंध संचालक विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

18. अनुबंध (संविदा) निष्पादित करना

18.1 सफल निविदाकार को Letter of offer पत्र जारी होने के अधिकतम 07 कार्यशील दिवस में निर्धारित प्रतिभूति राशि विपणन संघ के निर्धारित बैक एकाउन्ट में जमा करना होगी। संबंधित निविदाकार को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–08 (1) से 08(5) तक, के अनुसार जिला कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि (07 कार्यशील दिवस में) में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

18.2 अनुबंध करते समय अनुमोदित निविदाकार को तकनीकी बिड में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियां संबंधित जिला विपणन अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होंगी, इसके अतिरिक्त अनुमोदित निविदाकार को (वे दस्तावेज जो तकनीकी बिड में नहीं मांगे गये हैं) अनुबंध के साथ, निम्नांकित तालिका विवरण अनुसार अनिवार्य रूप से जिला विपणन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होंगेः–

अनुक्रमांक	अनुबंध के समय प्रस्तुत किये जाने दस्तावेजों का विवरण
18.2.1	आवश्यक प्रतिभूति राशि की रसीद।
18.2.2	परिवहनकर्ता द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम व पते एवं मो0 न0 की सूची तथा सत्यापित फोटो दो प्रतियों में नोटराईज्ड।
18.2.3	परिवहनकर्ता को जिले में अपना संपर्क कार्यालय और अधिकृत प्रतिनिधि रखना होगा जिसका नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल क्रमांक तथा ई–मेल पता हैसियत, प्रमाणित हस्ताक्षर, आधार कार्ड यां फोटो परिचय पत्र एवं फोटो प्रदाय करना होगा।
18.2.4	निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 7.1 के b में उल्लेख अनुसार श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
18.2.5	परिवहनकर्ता द्वारा अनलोडिंग कार्य कराने हेतु लेबर लायसेंस क्रमांक व उसकी स्व–प्रमाणित प्रति।

नोट– निविदाकार उपरोक्त तालिका विवरण में वांछनीय जिन दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित अथवा सत्यापित प्रति अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेंगे, उनकी मूल प्रतियां भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होंगी। जिस पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणन कर उन पर हस्ताक्षर करेंगे व अनुबंध के रूप में रिकार्ड में रखेंगे।

18.3 निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की जावेंगी, जिस पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणन कर उन पर हस्ताक्षर करेंगे व अनुबंध के रूप में रिकार्ड में रखेंगे। उक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियॉ, जिला विपणन अधिकारी के द्वारा प्रमाणन पश्चात् वापिस की जायेंगी।

18.4 अनुबंध निष्पादन उपरांत जिला विपणन अधिकारी परिवहनकर्ता को या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक को कार्यादेश देगा, यदि जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिये गये परिवहन कार्यादेश की व्यक्तिशः तामीली इनमें से किसी पर भी कराना संभव नहीं हो, तो तामीली परिवहनकर्ता के घोषित कार्यालय भवन अथवा परिवहनकर्ता द्वारा दिये गये ई–मेल पते पर दी जायेगी, जिसे तामीली माना जायेगा। इसे परिवहनकर्ता को स्वीकार करना होगा।

19. अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही :–

19.1 एल–1 निविदाकार द्वारा Letter of offer अस्वीकार करना, प्रतिभुति राशि जमा न कराना या अनुबंध न करने की स्थिति में जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रथम न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से सात दिवस में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ कराए। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव को मान्य न करने की दशा में एल–3, एल–4 एवं क्रमानुसार अन्य न्यूनतम निविदाकार को एल–1 की दर पर अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा संबंधित के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत नियमानुसार वांछित प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी, यदि उपरोक्तानुसार कोई भी निविदाकार एल–1 की दर पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं होता है तो पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

19.2 उपरोक्त कंडिका क्रमांक 19.1 की स्थिति में एल–1 की अमानत राशि राजसात करते हुए, आगामी 03 वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी इस प्रकार के निर्णय लेते समय बोलता आदेश **(Speaking Order)** पारित करेगी।

19.3 अनुमोदित निविदाकार यदि अनुबंध करने के समय निविदा में लगाये गये एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की चाही गई मूल प्रतियों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे निविदाकार की अमानत राशि **(अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)** राजसात कर ली जायेगी एवं आगामी 03 वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे निविदाकार के विरूद्ध विपणन संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ **कंडिका क्र. 19.1** में निर्धारित प्रकिया अनुसार भी कार्यवाही की जावेगी।

20. अनुबंध के रहते हुये समानान्तर परिवहन व्यवस्था :–

20.1 निविदाकार के साथ अनुबंध के रहते हुये समानान्तर रूप से विपणन संघ स्वयं की परिवहन व्यवस्था एल–1 की स्वीकृत दर पर कर सकता है या ऐसे अन्य परिवहन उपाय, व्यवस्था बना सकता है जो कार्य को निर्बाध गति से पूर्ण करने के लिये आवश्यक है। इस हेतु परिवहनकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और न ही किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

समानान्तर रूप से परिवहन कराए जाने की स्थिति में नियमानुसार परिवहनकर्ता को निविदा दस्तावेज के निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–08 'ब' (समानान्तर परिवहन व्यवस्था) परिवहन कार्य अनुसार राशि रू0 10+10 कुल राशि रू0 20.00 लाख जमा कराई जाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसके लिये परिवहनकर्ता बाध्य होंगे। समानान्तर रूप से परिवहन व्यवस्था में परिवहन कार्य की गारंटी नहीं रहेगी।

उपरोक्तानुसार कंडिका क्रमांक–20 की उप कंडिका क्रमांक–20.1 के संबंध में कार्यवाही जिला उपार्जन समिति के प्रस्ताव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत की जावेगी।

अनुबंध उपरान्त कार्य न करने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था :–

20.2 अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिये गये परिवहन कार्यादेश के तीन दिवस में कार्य प्रारंभ नही करता है, अथवा उसको दिये गये दायित्व को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करता है तो परिवहनकर्ता को संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावेगा, उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब **24 घंटे** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जवाब संतुष्टिपूर्ण न होने, जवाब न देने या कार्य करनें में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में **परिवहनकर्ता पर मुख्यालय स्तर से कार्यवाही हेतु जिला विपणन अधिकारी परिवहनकर्ता को दिये गये कारण बताओं सूचना पत्र के प्रतिउत्तर पर अपना स्पष्ट अभिमत/प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात मुख्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत जवाब संतुष्टि पूर्ण न होने पर परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिये ब्लेकलिस्ट किया जा सकेगा। परिवहनकर्ता को गुण–दोष के आधार पर 01 से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए काली सूचीबद्ध करने एवं न करने का अधिकार विपणन संघ के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होंगे।**

20.3 उपरोक्त **कंडिका क्रमांक 20.1** की स्थिति में जिला स्तरीय कमेटी को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रथम न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से सात दिवस में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ कराए। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव को मान्य न करने की दशा में एल–3, एल–4 एवं क्रमानुसार अन्य न्यूनतम निविदाकार को एल–1 की दर पर अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा संबंधित के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत नियमानुसार वांछित प्रतिभूति राशि जमाकर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी, **इस हेतु परिवहनकर्ता का निविदा दस्तावेज के निर्धारित प्रारूप (परि0–08(03) एवं (04) (वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।** यदि उपरोक्तानुसार कोई भी निविदाकार एल–1 (प्रथम न्यूनतम) की दर पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं होता है तो पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी, किन्तु परिवहन कार्य रोका नहीं जावेगा। साथ ही एल–01 की स्वीकृत दरों पर (रिस्क एंड कास्ट) के आधार पर परिवहन कार्य कराया जावेगा।

20.4 परिवहनकर्ता द्वारा समय सीमा में कार्य न करने पर अथवा विफलता की स्थिति में व अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के असफल होने के उपरांत आपात स्थिति में जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा एवं कलेक्टर अनुमोदन उपरान्त जोखिम एवं खर्च (रिस्क एंड कास्ट) आधार पर किसी अन्य परिवहनकर्ता से जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ता के लंबित देयक व जमा प्रतिभूति राशि की सीमा तक परिवहन कार्य कराया जा सकेगा। तत्पश्चात अनुबंधित परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जाकर पुनः निविदा की जाना होगा।

21. परिवहनकर्ता के कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

21.1 निविदाकार को उपार्जन नीति में परिवहन कार्य संबंधी प्रोटोकाल में दिये गये निर्देशों यथा जे.आई.टी. भुगतान पद्धति, परिवहन सॉफ्टवेयर प्रोटोकाल, ऑनलाईन/ऑफलाईन परिवहन कार्यक्रम इत्यादि) का पालन करना अनिवार्य होगा।

21.2 **समिति स्तर पर परिवहन हेतु स्कंध प्रेषण के समय तौल/स्कंध कमी के संबंध में उपार्जन नीति/शासन द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार योग्य कार्यवाही की जावेगी।**

21.3 परिवहनकर्ता स्कन्ध एवं बारदाना की भौतिक सुरक्षा के लिये, उनके ट्रकों में लादे जाने के समय से, गंतव्य तक सकुशल स्कंध उतारकर व गंतव्य स्थान की पावती प्राप्त करने तक उत्तरदायी होगा, लेकिन पावती विपणन संघ में जमा करने के बाद ही स्कन्ध एवं बारदाना के आर्थिक दायित्व से मुक्त होगा। वे ट्रक में लादने से पहले उनमें नीचे तिरपालों का प्रावधान करेंगे तथा लदान पूरी होने के बाद सामान को तिरपाल से ढक देगें, ताकि ट्रकों में छिद्रों से धूप, वर्षा और मौसम की स्थिति से खाद्यान्न एवं बारदाना की हानि या क्षति को रोका जा सके। उनके द्वारा प्राप्त किये गये एवं उनके ट्रकों पर लादे गए खाद्यान्न एवं बारदाना आदि को वजन एवं बोरों की संख्या के अनुसार सौंपेंगे तथा परिवहन के दौरान धूप, वर्षा एवं मौसम इत्यादि से हुई क्षति की हानि को पूरा करेंगे। **अनलोडिंग/उतराई दौरान बिखरे/फैले स्कंध को अनलोडिंग प्वाइंट पर अनलोडिंग का कार्य करने वाले श्रमिकों जिनको की अनलोडिंग कार्य की राशि का भुगतान किया जाएगा। उनके द्वारा स्कंध साफ कर /व्यवस्थित रूप से गोदाम में संग्रहित किया जायेगा।**

21.4 खाद्यान्न की पैकिंग हेतु उपयोग किये जाने वाले बारदानों पर संबंधित उपार्जन संस्था के कोड की सील (स्टेन्सिल) अनिवार्यतः लगायी जाये, बारदाना पर बगैर सील लगे कोई भी खाद्यान्न गोदाम में भण्डारित नहीं किया जायेगा। परिवहनकर्ता से यह अपेक्षा है कि वह कोड की सील (स्टेन्सिल) लगे बारदानों वाला ही खाद्यान्न परिवहन करें।

21.5 परिवहनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपार्जन के दौरान एक ट्रक में एक ही किस्म के स्कंध का परिवहन हों। एक ट्रक में एक से ज्यादा स्कंध का परिवहन एक समय पर नहीं किया जाएगा।

21.6 परिवहन के दौरान प्रत्येक ट्रक दलहन–तिलहन एवं बारदाना में होने वाली स्कन्ध कमी को अन्य किसी ट्रक में स्कंध बढ़ने के साथ समायोजन नहीं किया जायेगा।

21.7 परिवहन के माल की सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता को ट्रक चालान, डिलेवरी मेमो और तौल पत्रक दिये जायेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा गंतव्य स्थान/प्राप्ति केन्द्र पर उसी के अनुसार सौंपी गई गुणवत्ता के दलहन–तिलहन एवं बारदाना की सुपुर्दगी देनी होगी। गंतव्य स्थान पर सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता प्रचलित विधि के अनुसार माल की तौल करायेगा तथा प्रेषण स्थान से दिये गये ट्रक चालान/दस्तावेजों की प्राप्ति की तथा सुपुर्द किये गये माल की मात्रा की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

21.8 विपणन संघ के दलहन–तिलहन एवं बारदाना आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का दायित्व परिवहनकर्ता का है। मार्ग में चोरी, दंगा, लूट, दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटना के परिणामस्वरूप माल को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा होने वाली कमी का दायित्व भी परिवहनकर्ता का होगा। इस हेतु परिवहनकर्ता को परिवहन स्कंध का मार्गस्थ बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा।

21.9 परिवहनकर्ता को आदेशित परिवहन मात्रा अनुरूप पर्याप्त संख्या में ट्रकों को उपलब्ध कराएगा, इस हेतु जिला विपणन अधिकारी से परिवहनकर्ता या उनके प्रतिनिधि सतत संपर्क में रहेंगे।

21.10 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टौल टैक्स एवं अन्य शुल्क प्रभार तथा प्रचलित देयकर को भुगतान करने की जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

21.11 परिवहनकर्ता द्वारा भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा जारी समय–समय पर मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसम्बद्ध नियमों के अंतर्गत किए गए संशोधन/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित मानक ट्रक क्षमता अनुरूप ही स्कंध को ट्रक में लोड कराना अनिवार्य होगा अर्थात ओव्हर लोडिंग मान्य नहीं होगी।

21.12 परिवहन के दौरान यदि किसी ट्रक पर यातायात एवं मोटर व्हीकल एक्ट इत्यादि के अंतर्गत कोई राशि, जुर्माना या दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसको परिवहनकर्ता

द्वारा स्वंय सीधे भुगतान करना होगा, इसमें विपणन संघ की कोई भी जवाबदारी नहीं होगी।

21.13 किसी परिवहनकर्ता के ट्रक खराब होने पर जिला विपणन अधिकारी (**D.M.O. MARKFED**)/उप संचलाक कृषि (**D.D.A.**) की अनुमति से दूसरे ट्रक को परिवहन हेतु उपयोग कर सकेंगे, किन्तु इसकी सूचना सर्व संबंधितों को देने के साथ–साथ आवश्यक निर्धारित शर्तो की पूर्ति उस ट्रक में आवश्यक होगी।

21.14 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वह जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा। उनके द्वारा किए गए कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

21.15 परिवहनकर्ता का भविष्य निधि कार्यालय में रजिस्ट्रेशन (पंजीयन), होना अनिवार्य है। कर्मचारी/श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे। उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी/श्रमिकों से संबंधित किसी भी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में विपणन संघ का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।

21.16 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए, समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

21.17 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।

21.18 परिवहन कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं परिवहनकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा। इस हेतु विपणन संघ किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।

21.19 निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियमो का पालन करने की जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी। सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

21.20 **भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा परिवहन कार्य के लिए जारी समस्त आदेश/निर्देश परिवहनकर्ता के लिए मान्य होगें।**

21.21 **आचरण एवं व्यवहार**–परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द व विवेकपूर्ण रहते हुए परिवहन कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसकी कर्मचारियों/अधिकारियों की, विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से, झगड़ालू/दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति/अभद्र/अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर जिला स्तरीय विवादों की जांच मंडल प्रबंधक एवं मंडल कार्यालय स्तरीय विवादों की जांच मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा की जावेगी। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत परिवहनकर्ता/उसके प्रतिनिधि या कर्मचारी की गलती पाए जाने पर प्रबंध संचालक उसकी संविदा को तत्काल समाप्त कर देंगे एवं उसे आगामी निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने से भी वंचित कर देंगे, इसके साथ अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली व परिवहनकर्ता के विरूद्ध समस्त कार्यवाहियाँ संस्थित करेंगे।

22 परिवहनकर्ता को परिवहन के दौरान पैनाल्टी :–

22.1 परिवहनकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्कंध की उतराई के दौरान बिखरे/फैले स्कंध को साफ कर/व्यवस्थित रूप से गोदाम में संग्रहित करेगा अन्यथा विपणन संघ द्वारा उक्त कार्य स्वयं सम्पन्न कराने पर समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति व्यय के **25%** सुपरविजन चार्जेस सहित परिवहनकर्ता के देयकों से कटौत्री कर ली जावेगी।

22.2 यदि कोई परिवहनकर्ता बगैर स्टेन्सिल या सील लगे बारदानों से खाद्यान्न को गोदाम पर भण्डारण हेतु लाता है, तो उसे वापिस करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति दोनों (उपार्जन संस्था एवं परिवहनकर्ता) के द्वारा आधी–आधी वहन की जायेगी।

22.3 उपार्जित स्कंध के परिवहन दौरान यदि परिवहनकर्ता निर्धारित केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्र पर सुपुर्दगी देता है, तो उसके लिये इस प्रकार के गलत कृत्य के लिये भारी माल ट्रकों के परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा और रूपये 5000/–प्रति ट्रक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। संबंधित परिवहनकर्ता को परिवहन कार्य के दौरान किसी कारण विशेष से गोदाम परिवर्तन की सूचना जिला विपणन अधिकारी द्वारा दी गई होने की स्थिति में यदि गोदाम परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ पैनाल्टी पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।

22.4 समिति परिवहनकर्ता को बिना तौल स्कंध की सुपुर्दगी देती है, तो इसमें आने वाली कमी की वसूली संबंधित समिति से की जावेगी। तौल कर स्कंध की सुपुर्दगी की स्थिति में आने वाली कमी की वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से की जावेगी।

22.5 यदि परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में परिवहन नहीं करने/अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य नहीं करने के फलस्वरूप विपणन संघ को कोई संग्रहण प्रभार या भावांतर किसी को देना पड़ता है तो उसे परिवहनकर्ता के बिल से वसूला जायेगा।

22.6 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा किसी कर्मचारी/ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कृत्य की कोई जवाबदारी के कारण कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों से वसूल किया जाएगा।

22.7 परिवहनकर्ता को जिला विपणन अधिकारी द्वारा दिये गये आनलाईन परिवहन कार्यादेश अनुसार कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में विलम्बित कार्य की मात्रा पर 50 रूपये 50/– (पचास रूपए मात्र) प्रति टन प्रतिदिन की दर से एवं बारदाना पर 100/– (एक सौ रूपए मात्र) प्रति गठान प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी वसूली जावेगी। उक्त पैनाल्टी की गणना कार्यादेश दिनांक के **72 घंटे** उपरांत की जावेगी।

22.8 विलंब से परिवहन कार्य करने पर पेनाल्टी राशि का अधिरोपण जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित एवं मंडल प्रबंधक के अनुमोदन पर किया जावेगा। जिला विपणन अधिकारी तकनीकी रूप से गणना की गई पेनाल्टी के संदर्भ में विलम्बित दिनों की गणना में समिति/संस्था से उपार्जित स्कंध प्राप्त न होने से, कानून व्यवस्था की स्थिति में ट्रकों का संचालन बंद होने अथवा माल ट्रकों की हड़ताल होने के कारण उन दिनांक को गणना में नही लिया जायेगा बशर्ते इसकी सूचना जिला उपार्जन समिति को दी गई हो और इसका पृथक से रिकार्ड भी रखा हो, ऐसे सार्वजनिक अवकाश नियंत्रण से परे निर्मित स्थितियों जिनमें प्रदाय केंद्र/गोदाम बंद रहते हैं की स्थिति में, विलंबित दिनों की गणना में उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिवस नहीं जोड़े जावेंगे। जिला विपणन अधिकारी किये जाने वाले बिल भुगतान से इसका कटौत्रा करेगा।

22.9 **लोडिंग के पश्चात विलम्ब पर जुर्माना :–**

परिवहनकर्ता को गंतव्य स्थान तक, लोडिंग के पश्चात्, निम्नांकित तालिका विवरण अनुसार समय–सीमा में (सार्वजनिक अवकाश का दिन छोड़कर) स्कंध एवं बारदाना पहुंचाना अनिवार्य होगा :–

कमांक	लीड का विवरण	समय सीमा
1	2	3
1	स्थानीय	6 घंटे
कमांक	लीड का विवरण	समय सीमा
2	1–25	8 घंटे
3	1–50	12 घंटे
4	1–100	24 घंटे
5	1–150	24 घंटे
6	1–200	24 घंटे
7	1–250	24 घंटे
8	1–300	24 घंटे
9	1–400	24 घंटे
10	1–500	36 घंटे
11	1–600	48 घंटे
12	1–700	48 घंटे

22.10 परिवहनकर्ता को दलहन–तिलहन जिन्सों को गंतव्य स्थान तक, लोडिंग से उपरोक्त समय–सीमा में (सार्वजनिक अवकाश का दिन छोड़कर) स्कंध पहुॅचाना अनिवार्य होगा। इसके विलंब के लिए प्रति ट्रक रूपये 1000/–एक हजार प्रतिदिवस की शास्ति जिला विपणन अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायेगी जो परिवहनकर्ता से वसूली जायेगी। प्रथम दिवस रूपये 1000/–प्रति ट्रक ओर द्वितीय दिवस व आगामी दिवसों में रूपये 1500/–प्रति दिवस प्रति ट्रक वसूले जायेंगे। तदोपरांत भी स्कंध नहीं पहुॅचाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। रास्ते में ट्रक के खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन अथवा जिला विपणन अधिकारी को दूरभाष, पर लिखित में एस0एम0एस कर सूचित करना होगा व स्कंध वैकल्पिक व्यवस्था से उसी दिवस, संग्रहण केन्द्र तक पहॅुचाना होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

22.11 उपरोक्त विलम्ब से बारदाना परिवहन करने पर प्रति ट्रक रूपये 5000/–प्रति दिवस की शास्ति जिला विपणन अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायेगी जो परिवहनकर्ता से वसूली जायेगी। प्रथम दिवस रूपये 5000/– और द्वितीय दिवस व आगामी दिवसों में रूपये 6000/– प्रति दिवस वसूले जायेंगे। तदोपरांत भी बारदाना गठान नहीं पहुंचने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। रास्ते में वाहन के खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन (**कलेक्टर के अधीन कृषि विभाग**), के साथ ही जिला विपणन अधिकारी को दूरभाष, पर एवं आवश्यक रूप से एस0एम0एस0 करने के उपरांत लिखित में सूचित करना होगा व बारदाना वैकल्पिक व्यवस्था से उसी दिवस संग्रहण केन्द्र तक पहॅुचाना होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

22.12 परिवहनकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा सेवाओं में अकुशलता, किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण विपणन संघ को हुई किसी क्षति, हानि अतिरिक्त प्रभार/लागत आदि परिवहनकर्ता से प्रतिभूति व अन्य देय राशियों से वसूली जायेगी। यदि विपणन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये राशि अपर्याप्त रहती है, तो शेष राशि विपणन संघ द्वारा मांगे जाने पर परिवहनकर्ता देने हेतु बाध्य है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपणन संघ इस संविदा को तत्काल समाप्त कर सकेगा व विपणन संघ के साथ सभी संविदाऐं निरस्त करते हुए काली सूची में रखेगा व आगामी **03 वर्ष** तक विपणन संघ की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा। यह प्रतिबंध अनुबंधित फर्म के साथ–साथ फर्म के स्वामी/फर्म के भागीदार, कंपनी पर भी

लागू रहेगा। विपणन संघ उस पर कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चें के रेवन्यू रिकवरी या सिविल वाद (आर0आर0सी0) के अनुसार उक्त राशि वसूल कर सकेगा। यह कार्यवाही जिला विपणन अधिकारी/मंडल प्रबंधक के प्रस्ताव–अनुशंसा पर प्रबंध संचालक के अनुमोदन से होगी।

22.13 किसी भी प्रकार के परिवहन में यूनिट कमी (अर्थात् स्कंध जिस पैकिंग में प्राप्त किया गया हो उस पैकिंग सहित स्कंध कमी), को परिवहन कार्य में अत्यन्त गंभीर त्रुटि माना जावेगा। यदि यह कमी निरंतर कार्य पद्धति में दिखती है, तो परिवहनकर्ता के कार्यकलाप को दलहन–तिलहन एवं बारादाना अन्य जिन्सों की अफरा–तफरी में लिप्त मानकर काली–सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

यूनिट की कमी एवं स्कंध कमी की स्थिति में परिवहनकर्ता से निम्न तालिका विवरण अनुसार पैनाल्टी दर सहित वसूली की जावेगी–

क्र.	विवरण	वसूली जाने वाली राशि
1	दलहन, तिलहन	रू. 100/– प्रति किलो
2	जूट बारदाना **SBT** (530 **gm**)	रू. 130/– प्रति नग
3	**AT** (775 **gm**)	रू. 185/– प्रति नग
4	पी0पी0 बारदाना	रू. 30/– प्रति नग

23 विशेष परिस्थिति में दण्ड की व्यवस्था

23.1 परिवहनकर्ता अथवा उसके किसी कर्मचारी/ड्रायवर द्वारा जानबूझकर परिवहन/अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य में विलंब या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर उसके विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी व मंडल प्रबंधक की अनुशंसा पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये गुणदोष के आधार पर निविदाकार का अनुबंध निरस्ती से लेकर उसे अधिकतम 03 वर्षों तक विपणन संघ की कालीसूची में दर्ज कर भविष्य में विपणन संघ की समस्त परिवहन निविदाओं में किसी भी हैसयित से भाग लेने हेतु अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

23.2 खाद्यान्न की अफरा–तफरी, मिलावट या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर उसके विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी व मंडल प्रबंधक की अनुशंसा पर गुण–दोष के आधार पर अधिकतम 03 वर्षो तक के लिय विपणन संघ की काली सूची में दर्ज कर भविष्य में विपणन संघ की समस्त परिवहन निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

23.3 काली सूचीबद्ध होने पर परिवहनकर्ता के विपणन संघ के साथ सभी प्रचलित अनुबंध निरस्त हो जायेगें व देयकों की देय राशि एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात होगी एवं परिवहनकर्ता के स्वंय/अनुबंधित ट्रकों को प्रतिबंधित (काली सूचीबद्ध) किया जावेगा। परिवहनकर्ता से समस्त वसूली योग्य राशि वूसली जावेगी। परिवहनकर्ता को गुण–दोष के आधार पर काली सूचीबद्ध करने/न करने का अंतिम अधिकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक का होगा।

23.4 परिवहनकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर/बिजनेस एसोसिएट/स्टाफ/ड्रायवर/मजदूर के विषय में विपणन संघ को यह विश्वास होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/आचरण संदिग्ध है व उनके द्वारा अनुबंधित निष्पादित किये जाने के पश्चात यह संज्ञान में आता है कि परिवहनकर्ता द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी/कूट–रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके निविदा प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में संविदा के नियम, निर्देश, शर्तों का उल्लंघन करने पर, विपणन संघ की सर्वोच्च छवि एवं हितों के लिए ऐसे परिवहनकर्ता को सुनवाई का एक अवसर दिये जाने के बाद विपणन संघ से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियों के लिए अयोग्य घोषित कर प्रचलित प्रक्रिया से, पृथक करते हुये अनुबंध समाप्त किया जाकर प्रतिभूति राशि एवं देय राशि राजसात की जावेगी व आगामी 03 वर्ष के लिए किसी भी निविदा में भाग लिये जाने पर प्रतिबंधित किया जावेगा।

23.5. उक्त कण्डिकाओं के तहत कार्यवाही के समस्त अधिकार प्रबंध संचालक को है।

24. भुगतान

24.1. निविदाकार को स्वीकृत दरों के अतिरिक्त विपणन संघ द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि (यथा–टोल टैक्स, जीएसटी, आयकर इत्यादि) का भुगतान नहीं किया जायेगा।

24.2 निविदा में उल्लेखित दरें परिवहन हेतु स्कंध के वजन के लिए मानी जाएंगी व इसमें न तो बोरे आदि पैकिंग सामग्री का वजन जोड़ा जायेगा और न ही उसके भार के लिये अलग से परिवहन व्यय देय होगा। भुगतान, परिवहन पश्चात् प्राप्त स्कंन्ध के शुद्ध वजन के आधार पर होगा।

24.3 निविदा में परिवहन कार्य, जैसा कंडिका क्रमांक **3.15** में परिभाषित है, का व्यय दिया जायेगा एवं अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य जैसा कंडिका क्रमांक **3.9** एवं **3.10** में दर्शित है का व्यय दिया जायेगा। उपार्जन के दौरान स्कंध का परिवहन एवं अनलोडिंग तथा स्टेकिंग कार्य का भुगतान पृथक–पृथक किया जावेगा।

24.4. Price Variation Clause – प्रचलित डीजल की दरों में अनुबंध होने के पश्चात परिवर्तन होने पर निम्नानुसार फार्मूले के अनुसार अनुमोदित दरों में कमी/वृद्धि की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह वृद्धि/कमी डीजल दर वृद्धि सूचना के बाद आगामी माह की एक तारीख से प्रभावशील होगी, जिसकी गणना संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। उक्त का प्रभाव केवल परिवहन दरों में दिया जाएगा। **अनुमोदित दर में प्रतिशत वृद्धि/कमी=0.35x डीजल की दर में प्रतिशत वृद्धि/कमी।**

24.5 परिवहनकर्ता खाद्यान्न परिवहन के दौरान आने वाले टोल नाके द्वारा लिये जाने वाले टोल व्यय की रसीद सुरक्षित रखेंगे, यह रसीद परिवहन देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। परिवहन देयकों में टोल टेक्स की रसीद संलग्न होना आवश्यक है, यदि परिवहन के दौरान टोल टैक्स नहीं लगता है, तो इस आशय का शपथ–पत्र (विधि मान्य) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में परिवहन देयकों का भुगतान नहीं होगा।

24.6 उपार्जन समाप्ति के उपरांत 15 दिवस में समस्त परिवहन मात्रा के देयक मय बिल्टी, चालान एवं स्कंध प्राप्ति रसीद सहित संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर सेन्ट्रल एजेन्सी द्वारा देयक अमान्य करने पर उक्त देयकों पर विचार नहीं किया जावेगा और न ही परिवहनकर्ता को उक्त राशि का भुगतान किया जावेगा।

24.7 परिवहनकर्ता को परिवहन व अनलोडिंग कार्य का भुगतान व पेनाल्टी निर्धारण भी ऑनलाईन होगा। ऑनलाईन व्यवस्था न होने पर ऑफलाईन किया जावेगा।

24.8 परिवहन कार्यादेश का क्रियान्वयन प्रतिवेदन प्रत्येक बिल के साथ परिवहनकर्ता को संलग्न करना होगा। इसके आधार पर ही जिला विपणन अधिकारी द्वारा विलंबित दिनों के लिए निर्धारित कटौत्रा किया जायेगा।

24.9 भुगतान संबंधित जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा। परिवहन कार्य का भुगतान स्वीकृत दर पर निर्धारित पैनाल्टियों को लगाने के उपरांत ऑनलाईन/ऑफलाईन व्यवस्था से परिवहनकर्ता के खाते में जिला विपणन अधिकारी/मुख्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार भुगतान संबंधी विवादों का निपटारा प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होगा।

24.10 समय समय पर आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी दर से TDS का कटौत्रा कुल सकल परिवहन राशि पर किया जाएगा। यदि परिवहनकर्ता आयकर (TDS) का कटोत्रा न करने की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा कि परिवहनकर्ता परिवहन व्यवसाय में संलग्न है व वर्ष के दौरान वह 10 या उससे कम ट्रक का मालिक है। विपणन संघ

द्वारा इस काटी गई आयकर (टी0डी0एस0) राशि के संबंध में टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र संबंधित परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि परिवहनकर्ता इसकी क्रेडिट फार्म नंबर 26 ए0एस0 से मिलान कर अपनी आयकर विवरणी में प्राप्त कर सकेगा।

24.11 केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 01–07–2017 से प्रभावी जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न, दलहन पर जी0एस0टी0 प्रभावी नहीं है उपरोक्त के अलावा अन्य जिन्सों (बारदाना, सरसों एवं तिलहन) की परिवहन राशि (**TRANSPORTATION AMOUNT**), पर **05 प्रतिशत** की दर अथवा शासन निर्देशानुसार समय–समय पर लागू जी0एस0टी0 की वसूली परिवहन देयकों अर्थात् परिवहनकर्ता से की जावेगी।

24.12 भविष्य में समय–समय पर प्रभावी जी0एस0टी0 या/और अन्य करों के प्रावधान अनुसार करों की देयता की वसूली भी परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से की जावेगी।

24.13 परिवहनकर्ता की परिवहन लागत के किसी घटक पर, इनकम टैक्स या अन्य कोई टैक्स भार आदि भारित होता है तो यह परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

24.14 **परिवहन हेतु दूरी के संबंध में :–**

भुगतान अद्यतन प्रमाणित न्यूनतम दूरियों के लिए, उपार्जन केन्द्र के 0 बिन्दु से संग्रहण केन्द्र के 0 बिन्दु तक की दूरी का किया जायेगा। दूरी का निर्धारण निम्नानुसार प्रक्रिया से किया जाये:–

1. लोक निर्माण विभाग **(PWD)** द्वारा जारी किये गये प्वाइंट टू प्वाइंट दूरी हेतु जारी किये गये विधिवत प्रमाण–पत्र अथवा गूगल मेप के आधार पर न्यूनतम दूरी की वास्तविक रूप से किये गये परिवहन के आधार पर। गूगल मेप की स्थिति में जिला विपणन अधिकारी द्वारा मान्य की गई न्यूनतम दूरी को ही परिवहनकर्ता को मान्य किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि किसी स्थान या गंतव्य तक पहुंचाने के दो मार्ग हैं और दोनों मार्गों की दूरियां भिन्न–भिन्न हैं तो कम दूरी वाले मार्ग के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। किसी कारण कम दूरी वाला मार्ग परिवहन हेतु अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में यदि परिवहनकर्ता को अन्य वैकल्पिक मार्ग से परिवहन करना पड़े तो उसे वैकल्पिक मार्ग से परिवहन की पूर्व स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय उपार्जन समिति से प्राप्त करनी होगी तथा परिवर्तित वैकल्पिक मार्ग की दूरी का निर्धारण उपलब्ध न्यूनतम मार्ग से किया जावेगा।
5. निकटस्थ वे–ब्रिज में किसी तकनीकी खराबी अथवा अन्य किसी कारण से परिवर्तन किये जाने पर किसी अन्य दूसरे निकटस्थ वे–ब्रिज से स्कंध तौलकर प्रदाय की व्यवस्था की जाने की स्थिति में परिवहन व्यय का भुगतान प्रमाणित दूरी अनुसार दिया जायेगा ।
6. लम्बी दूरी परिवहन कार्य में शून्य के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में जिला कलेक्टर, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7. दूरी के संबंध में विवाद पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

25. विविध

25.1 अनुबंध (संविदा) की अवधि :–

1. जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर वर्ष **2026–28** के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा तथा यह अवधि अनुबंध दिनांक से 31 अगस्त 2028 तक मान्य होगी।
2. निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात यदि विपणन संघ चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु **06** माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी। ऐसी वृद्धि के तारतम्य में

स्वीकृत दरों में कोई भी वृद्धि मान्य नहीं होगी। उक्त दर पर कार्य करने हेतु परिवहनकर्ता बाध्य होगा।

3. संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारन्टी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

25.2 निविदा की वैधता

निविदा की प्रस्तुत दरें, निविदा खुलने की दिनांक से स्वीकृति हेतु 90 दिन तक वैध रहेंगी। निविदा अनुबंध अवधि के दौरान सेक्टर के पुनर्गठन/संशोधन को मान्य कर परिवहन कार्य करने की बाध्यता अनुबंधित परिवहनकर्ता की होगी।

25.3 नियम बनाने का अधिकार/निर्देश दिये जाना/व्याख्या करना

प्रबंध संचालक के पास स्कंध परिवहन संबंधी किसी भी नीति बनाने व उक्त सन्दर्भ में निर्देश दिये जाने एवं किसी भी धारा की व्याख्या करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दस्तावेज एवं अनुबंध के प्रावधानों के विषय में अभिप्राय (Interpretation) के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय उभय पक्षों के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

25.4 संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनों/विधियों द्वारा शासित अर्थात् लागू होगा।

25.5 विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मियों एवं उनके परिवार के परिवहन कार्य लेने हेतु प्रतिबंध

विपणन संघ में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी के परिवार के सदस्य परिवहनकर्ता के रूप में विपणन संघ के किसी भी जिले के किसी भी परिवहन कार्य में परिवहन कार्य करने हेतु प्रतिबंधित रहेंगे। परिवार के सदस्यों में पति, पत्नि, बच्चे, माता–पिता जो आश्रित हों और सभी एक साथ निवास करते हों, उनको परिवार का सदस्य माना जावेगा। जहॉ तक भाई–बहन का संबंध है वे भी अगर आश्रित होकर साथ में रहते हैं, तो उनको भी परिवार का सदस्य माना जावेगा। परन्तु भाई–बहन अगर अलग रहते हैं, और अपना व्यवसाय अलग करते हैं, तो उनको निविदा के संबंध में परिवार का सदस्य नहीं माना जावेगा।

25.6 सरसरी तौर पर समापन

यदि परिवहनकर्ता को दिवालिया निर्णीत किया जाता है या वे अपना व्यापार परिसमाप्त या बंद कर रहे हैं या अपने लेनदारों से कोई व्यवस्था कर रहे हैं या इस संविदा के किसी प्रावधान या संविदा को शासित करने वाली किसी भी शर्त एवं निबंधनों का पालन करने में विफल रहते हैं, सेवा में उसकी अकुशलता से विपणन संघ को हानि होती है, तो विपणन संघ संविदा को तुरंत समाप्त कर देगा तथा संविदा की शेष अवधि के लिये कार्य परिवहनकर्ता के जोखिम एवं लागत पर करवाया जायेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति, हानि, प्रभार, खर्चे, लागत को परिवहनकर्ता से वसूलेगा। भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में विपणन संघ द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।

25.7 मुजरा (सैट ऑफ)

अनुबंधकर्ता को अनुबंध के अन्तर्गत कोई भी देय/भुगतान योग्य किसी भी राशि को (देय प्रतिभूति राशि सहित) किसी भी समय अनुबंध अथवा अन्य संविदा के अन्तर्गत किसी भी दावे को Setoff करने के लिये समायोजित की जा सकेगी।

25.8 लेखा–बही निरीक्षण

अनुबंधकर्ता विपणन संघ की आवश्यकतानुसार जब कभी भी जिला विपणन अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अनुबंध के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी लागत या लेखे की अन्य लेखा पुस्तिका, रसीदों, पत्रों, ज्ञापनों या लिखितों या ऐसे किसी भी दस्तावेज की सत्य प्रति या उसके सारांश को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा। उक्त प्रकार का निर्णय अनुबंधकर्ता पर बंधनकारी होगा।

25.9 Sub-letting पर प्रतिबंध

परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी अन्य को सम्पूर्ण अनुबंधित कार्य या उसके किसी भी भाग को Sub-letting पर नहीं दिया जा सकता है एवं ना ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है।

25.10 Cartelization

यदि जिला स्तरीय कमेटी अथवा इस कार्यालय को यह प्रमाणित तौर पर पुष्टि हो जाती है कि निविदाकारों द्वारा निविदा दरों को प्रभावित करने के लिए गुटबंदी (Cartelization) की गई है ऐसी स्थिति में निविदाकारों की निविदा निरस्त करते हुए, अमानत राशि राजसात की जावेगी।

25.11 सत्यनिष्ठा संधि (भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि)

निविदाकारों को सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट–07 निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित करते हुए तकनीकी दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा या उनकी ओर से किसी अधिकारी या सेवक को कोई अनुकूल व प्रतिकूल कार्य हेतु किसी रिश्वत, कमीशन या लाभ के लिये दिये गये ऑफर या उसके लिये किये गये किसी वायदे से उनकी निविदाओं को विचार करने से वंचित कर देगा। निविदाकार द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रकार के प्रचार से भी उसकी निविदा निरस्त/अस्वीकार कर दी जावेगी तथा 03 वर्ष के लिये कपटपूर्ण आचरण के अन्तर्गत ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

25.12 Force-Majeure

परिवहनकर्ता किसी भी उस कारण के लिये जो उसके नियंत्रण के बाहर हो, अनुबंध के उपबंधों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये जवाबदार नहीं माना जावेगा, यथा प्राकृतिक आपदा इत्यादि। श्रमिक आन्दोलन आदि इस श्रेणी में नहीं माने जावेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में निर्णय लेने का अधिकार विपणन संघ को होगा, जो अंतिम एवं परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा। कोई आपदा यदि प्राकृतिक के रूप में शामिल नहीं है तथा परिवहनकर्ता को यदि अपरिहार्य कारणों से कार्य करना अत्यंत विलंबकारी रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्य के संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता हेतु आवेदन तत्समय दिया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु उक्त आवेदन पर निर्णय तथा दी जाने वाली शिथिलता यदि कोई हो तो वहां राज्य शासन/भारत सरकार के द्वारा ऐसी आपदा को अधिसूचित किये जाने के उपरांत ही दी जा सकेगी।

25.13 विवादों का निराकरण

किसी भी विवाद के निराकरण हेतु प्रथमतः अपील का अधिकारी प्रबंध संचालक विपणन संघ के समक्ष होगा, प्रबंध संचालक के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव कृषि, म0प्र0 शासन के समक्ष होगें। कोई भी विवाद न्यायालय में ले जाने के पूर्व प्रबंध संचालक एवं प्रमुख सचिव/सचिव कृषि, म0प्र0 शासन के समक्ष क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करना उभय पक्षों के लिए अनिवार्य होगा। इस निविदा अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद के निराकरण के लिए न्यायालयीन कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

विशेष नोट :– **प्रथम अपील विवाद/उपार्जन अवधि के 06 माह के भीतर एवं द्वितीय अपील की अवधि प्रथम अपील के आदेश/निर्णय के 01 माह की निर्धारित की जाती है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त अपीलों को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक विपणन संघ का होगा।**

25.15 निविदा निरस्ती एवं पुनः निविदा :–

किसी भी निविदा को बिना कारण बताए मान्य/अमान्य एवं निरस्त एवं पुनः निविदा करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा, जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

........................X........................

परिशिष्ट–01

वर्ष 2025-26 में उपार्जित दलहन-तिलहन स्कंध की जिलेवार जानकारी (मात्रा मे0टन में)

क्रं0	जिला कलेक्टर का नाम (जिनको क्लस्टर हेड बनाया गया है)	जिलों का नाम	अंतिम जमा/WHR मात्रा, जो कि गोदामों में भण्डारित है।						जिलेवार कुल उपार्जित मात्रा
			चना	मसूर	सरसों	मूंग	उड़द	तुअर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40,000 मे0टन तक के सेक्टर						
1	जबलपुर	जबलपुर	0.00	18.35	35.25	8442.90	2828.49	0.00	**11324.99**
		बालाघाट	132.10	0.00	1786.15	192.85	1.30	0.00	**2112.40**
		मंडला	18.60	569.05	8.95	219.70	132.45	0.00	**948.75**
		डिंडोरी	4.20	1598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	**1602.68**
		योग	**154.90**	**2185.88**	**1830.35**	**8855.45**	**2962.24**	**0.00**	**15988.82**
2	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	99.55	3029.19	2540.08	7569.85	57.85	41.10	**13337.62**
		पांढुर्ना	0.00	0.00	4.85	496.88	0.00	835.60	**1337.33**
		सिवनी	224.88	4288.60	4336.49	6677.78	40.35	0.00	**15568.10**
		योग	**324.43**	**7317.79**	**6881.42**	**14744.51**	**98.20**	**876.70**	**30243.04**
3	कटनी	कटनी	41.55	1164.15	3467.26	10023.09	1619.61	0.00	**16315.66**
		योग	**41.55**	**1164.15**	**3467.26**	**10023.09**	**1619.61**	**0.00**	**16315.66**
4	दमोह	दमोह	290.95	9906.10	1744.45	18867.96	805.40	566.80	**32181.66**
		पन्ना	1.70	6055.94	1103.68	15.10	0.00	0.00	**7176.42**
		योग	**292.65**	**15962.04**	**2848.13**	**18883.06**	**805.40**	**566.80**	**39358.07**
5	छतरपुर	छतरपुर	6.20	3572.78	30.70	45.70	0.00	1511.45	**5166.83**
		टीकमगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		निवाड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		योग	**6.20**	**3572.78**	**30.70**	**45.70**	**0.00**	**1511.45**	**5166.83**
6	रीवा	रीवा	2.75	1926.35	1594.80	0.00	0.00	0.00	**3523.90**
		मउगंज	3.75	387.60	767.25	0.00	0.00	0.00	**1158.60**
		सतना	0.00	1061.15	163.45	179.45	0.00	0.00	**1404.05**
		मैहर	0.00	1320.60	223.60	71.10	22.95	1.55	**1639.80**
		योग	**6.50**	**4695.70**	**2749.10**	**250.55**	**22.95**	**1.55**	**7726.35**
7	सीधी	सीधी	0.00	203.96	851.90	0.00	0.00	0.00	**1055.86**
		सिंगरौली	159.92	237.01	3723.06	0.00	126.45	0.00	**4246.44**
		योग	**159.92**	**440.97**	**4574.96**	**0.00**	**126.45**	**0.00**	**5302.30**
8	शहडोल	शहडोल	4.60	59.75	512.85	0.00	0.00	0.00	**577.20**
		अनूपपुर	10.15	681.00	3.30	0.00	0.00	0.00	**694.45**
		उमरिया	308.20	149.85	142.60	1110.37	550.50	0.00	**2261.52**
		योग	**322.95**	**890.60**	**658.75**	**1110.37**	**550.50**	**0.00**	**3533.17**
9	इंदौर	इंदौर	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	**8.45**
		योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.45**	**0.00**	**0.00**	**8.45**

क्रं0	जिला कलेक्टर का नाम (जिनको क्लस्टर हेड बनाया गया है)	जिलों का नाम	अंतिम जमा/WHR मात्रा, जो कि गोदामों में भण्डारित है।						जिलेवार कुल उपार्जित मात्रा
			चना	मसूर	सरसों	मूंग	उड़द	तुअर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	धार	धार	9.25	4.05	0.00	570.35	0.00	0.00	**583.65**
		झाबुआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		अलीराजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		योग	**9.25**	**4.05**	**0.00**	**570.35**	**0.00**	**0.00**	**583.65**
11	खरगोन	खरगोन	1231.63	0.00	0.00	10712.25	0.00	8.45	**11952.33**
		बड़वानी	0.00	0.00	0.00	775.50	0.00	9.25	**784.75**
		योग	**1231.63**	**0.00**	**0.00**	**11487.75**	**0.00**	**17.70**	**12737.08**
12	खंडवा	खंडवा	6821.06	0.00	0.00	13569.34	0.00	0.00	**20390.40**
		बुरहानपुर	1095.55	0.00	0.00	669.35	0.00	0.00	**1764.90**
		योग	**7916.61**	**0.00**	**0.00**	**14238.69**	**0.00**	**0.00**	**22155.30**
13	उज्जैन	उज्जैन	32.35	410.65	300.05	0.00	0.00	0.00	**743.05**
		रतलाम	18.30	1250.25	233.95	0.00	0.00	0.00	**1502.50**
		योग	**50.65**	**1660.90**	**534.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2245.55**
14	मंदसौर	मंदसौर	5893.35	6145.15	986.85	0.00	0.00	0.00	**13025.35**
		नीमच	1439.24	1317.68	136.26	0.00	0.00	0.00	**2893.18**
		योग	**7332.59**	**7462.83**	**1123.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15918.53**
15	शाजापुर	शाजापुर	150.45	5223.90	4428.10	0.00	0.00	0.00	**9802.45**
		आगर- मालवा	31.55	2840.15	397.85	0.00	0.00	0.00	**3269.55**
		योग	**182.00**	**8064.05**	**4825.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13072.00**
16	देवास	देवास	3950.15	0.00	4039.35	37847.71	0.00	0.00	**45837.20**
		योग	**3950.15**	**0.00**	**4039.35**	**37847.71**	**0.00**	**0.00**	**45837.20**
17	मुरैना	मुरैना	0.00	0.00	0.00	3976.95	0.00	0.00	**3976.95**
		भिंड	3.85	165.35	0.00	1604.70	0.00	0.00	**1773.90**
		श्योपुर	436.45	0.00	120.05	841.35	0.00	0.00	**1397.85**
		योग	**440.30**	**165.35**	**120.05**	**6423.00**	**0.00**	**0.00**	**7148.70**
18	गुना	गुना	103.60	4688.90	393.10	3612.65	0.00	0.00	**8798.25**
		अशोकनगर	9.35	20670.42	190.50	89.50	0.00	0.00	**20959.77**
		योग	**112.95**	**25359.32**	**583.60**	**3702.15**	**0.00**	**0.00**	**29758.02**
19	ग्वालियर	ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		शिवपुरी	32.55	6240.50	46.30	0.00	0.00	0.00	**6319.35**
		दतिया	35.50	600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	**636.43**
		योग	**68.05**	**6841.43**	**46.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6955.78**

क्र0	जिला कलेक्टर का नाम (जिनको क्लस्टर हेड बनाया गया है)	जिलों का नाम	अंतिम जमा/WHR मात्रा, जो कि गोदामों में भण्डारित है।						जिलेवार कुल उपार्जित मात्रा
			चना	मसूर	सरसों	मूंग	उड़द	तुअर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40,000 मे0टन से अधिक वाले सेक्टर									
1	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	171.35	7338.85	0.00	91238.03	2562.75	599.85	**101910.83**
		योग	**171.35**	**7338.85**	**0.00**	**91238.03**	**2562.75**	**599.85**	**101910.83**
2	सागर	**सागर सेक्टर में केवल एल0आर0टी0 (जूट) बारदाना परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित है।**							
3	सीहोर	सीहोर	11290.65	3000.38	0.00	77774.42	0.00	0.00	**92065.45**
		भोपाल	60.10	0.00	0.00	2045.59	0.00	0.00	**2105.69**
		राजगढ़	196.45	5622.55	2188.90	31.55	0.00	0.00	**8039.45**
		योग	**11547.20**	**8622.93**	**2188.90**	**79851.57**	**0.00**	**0.00**	**102210.59**
4	रायसेन	रायसेन	12870.49	12347.70	1101.95	106615.93	0.00	2573.15	135509.22
		योग	**12870.49**	**12347.70**	**1101.95**	**106615.93**	**0.00**	**2573.15**	**135509.22**
5	विदिशा	विदिशा	9626.20	43069.35	1562.15	3408.45	0.00	0.00	57666.15
		योग	**9626.20**	**43069.35**	**1562.15**	**3408.45**	**0.00**	**0.00**	**57666.15**
6	हरदा	हरदा	13836.30	0.00	1092.00	118586.50	0.00	0.00	**133514.80**
		बैतूल	1767.95	325.40	7271.40	12887.70	0.00	885.75	**23138.20**
		योग	**15604.25**	**325.40**	**8363.40**	**131474.20**	**0.00**	**885.75**	**156653.00**
7	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	26014.45	0.00	521.95	203122.82	0.00	0.00	**229659.22**
		योग	**26014.45**	**0.00**	**521.95**	**203122.82**	**0.00**	**0.00**	**229659.22**

कुछ जिलों में उपार्जन की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण इस वर्ष की परिवहन निविदा में 02, 03 एवं 04 जिलों का क्लस्टर बनाकर 01 सेक्टर करते हुये परिवहन निविदा आमंत्रित की गई है। ऐसे जिलों की परिवहन निविदा खोले जाने तथा परिवहन कार्य सुगमता से पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार क्लस्टर तैयार किया गया है, जिसके कलेक्टर उन सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करेगें :–

क्र0	जिले/जिलों का नाम जिन्हें 01 सेक्टर/जिला बनाया गया है।	जिले कलेक्टर का नाम, जिसे परिवहन निविदा खोलने एवं परिवहन कार्य सुगमता से संपादित कराये जाने का प्रतिनिधित्व करना है।
01	जबलपुर, बालाघाट, मंडला एवं डिण्डौरी	जबलपुर
02	छिन्दवाड़ा, पांढुर्ना एवं सिवनी	छिन्दवाड़ा
03	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
04	कटनी	कटनी
05	सागर	सागर (सागर सेक्टर में केवल एल0आर0टी0 (जूट) बारदाना परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित है।)
06	दमोह एवं पन्ना	दमोह
07	छत्तरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी	छत्तरपुर
08	रीवा, मउगंज, सतना एवं मैहर	रीवा
09	सीधी एवं सिंगरौली	सीधी
10	शहडोल, अनुपपुर एवं उमरिया	शहडोल
11	सीहोर, भोपाल एवं राजगढ़	सीहोर
12	रायसेन	रायसेन
13	विदिशा	विदिशा
14	हरदा एवं बैतूल	हरदा
15	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम
16	इंदौर	इंदौर
17	धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर	धार
18	खरगोन एवं बड़वानी	खरगोन
19	खंडवा एवं बुरहानपुर	खंडवा
20	उज्जैन एवं रतलाम	उज्जैन
21	मंदसौर एवं नीमच	मंदसौर
22	शाजापुर एवं आगर मालवा	शाजापुर
23	देवास	देवास
24	मुरैना, भिंड एवं श्योपुर	मुरैना
25	गुना एवं अशोकनगर	गुना
26	ग्वालियर, शिवपुरी एवं दतिया	ग्वालियर

परिशिष्ट–02

(तकनीकी बिड हेतु)
निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें निविदाकार को अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर इस तरह करना होंगे जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर आयें।

प्रति,

प्रबधं संचालक,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
.... ।

विषयः– खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध एवं एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2026–28 सेक्टर......................जिले का नाम......................... ।

प्रिय महोदय,

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के उपार्जन स्कंध एवं लम्बी दूरी परिवहन (बारदाना) कार्य के लिये प्रकाशित निविदा सूचना को व इस दस्तावेज को भली–भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा **http://www.mptenders.gov.in** से डाउनलोड किया है।

✓ मैं/हम इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।

✓ मैं/हम उक्त सेक्टर/जिला हेतु उपार्जन स्कंध एवं लम्बी दूरी परिवहन (बारदाना) कार्य के लिये अपनी/हमारी दरें भर रहे हैं/रहा हूं।

✓ हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	विवरण	विवरण
1.	निविदाकार पूरा नाम एवं पता	
2.	दूरभाष क्रमांक कार्यालय कोड सहित	
	निवास कोड सहित	
	मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल	
3.	निविदाकार की फर्म का स्वरूप फर्म/कम्पनी/स्वामित्व/सहकारी समिति/हिन्दु अविभाजित परिवार	
4.	मुखिया(कर्ता) का नाम एवं पता	
5.	अन्य निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पद, क्या पावर अटार्नी है/अधिकार पत्र है।	
6.	भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम, पिता या पति का नाम एवं पूर्ण पता	
7.	सोसायटी का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	
8.	बैंक का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड भी लिखें)	
9.	आयकर स्थायी लेखा संख्या (पेनकार्ड)	
10.	जी0एस0टी0 नं0	
11.	ई0एस0आई0 पंजीयन क्रमांक	

स.क्र.	विवरण	विवरण
12.	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	राशि
		बैंक का नाम
		यू0टी0आर0 नं
		दिनांक
13.	निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक	
14.	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक	
15.	अन्य जानकारी	
A	वर्तमान में कहॉ कार्य कर रहे है	
B	पूर्व में कोई कार्य किया हो तो विवरण	
C	विगत 05 वर्षों में शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित/परिवहन कार्य को पूर्ण नहीं करने एंव काली सूची में दर्ज किया गया है अथवा नहीं (हॉ/नहीं में लिखें)।	
D	अर्नेष्ट मनी राजसात हुई है या नहीं।	

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा ।

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर ....
नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरा पता...
हैसियत...
मुहर ....

परिशिट–03

घोषणा–पत्र

(निविदाकार के लेटर हेड पर)
निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सेक्टर्स हेतु निविदा प्रस्तुति की प्राथमिकता क्रम की जानकारी

मैं/हम शपथपूर्वक घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा सेक्टरवार उपार्जन स्कंध एवं एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन कार्य के लिये निम्न सेक्टर में निविदाऐं प्रस्तुत की हैं, मुझे/हमें ज्ञात है कि विपणन संघ द्वारा मात्र तीन सेक्टर का कार्य आवंटित किया जायेगा। अतएव न्यूनतम दर के आधार पर मेरी प्राथमिकता क्रमानुसार तीन सेक्टर जिनमें मेरी/हमारी दरें निविदा में प्रथम न्यूनतम होंगी, मैं कार्य स्वीकार करने हेतु सहमत हूँ।

कमांक	जिले का नाम	सेक्टर का नाम

नोटः–प्रस्तुत की गई निविदाओं के अनुरूप सेक्टरवार विवरण बढ़ते क्रम में इसी प्रकार प्रस्तुत किए जावें।

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का पता

परिशिष्ट–04

जिलों में सेक्टरवार उपार्जन स्कंध परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन हेतु निविदा वर्ष 2026–28 जिले का नाम............. सेक्टर का नाम........

तकनीकी निविदा के दस्तावेजों की चेकलिस्ट

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय, भोपाल।

विषय – खरीफ/रबी वर्ष 2026–28 में उपार्जन स्कंध एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुति।

(वांछित दस्तावेज स्व–प्रमाणन उपरांत स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है)

अनुक्रम.	विवरण	परिशिष्ट कमांक	वांछित दस्तावेज संलग्न हैं अथवा नहीं हॉ/नहीं में लिखें
1.	निविदाकार का संक्षिप्त विवरण एवं परिचय	परिशिष्ट–2	
2.	अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा (नोटराईज्ड) अगर वांछित हो तो		
3.	कंपनी/पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति		
4.	**विगत चार** वित्तीय वर्षो **(वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)** में **से कोई तीन वित्तीय** वर्ष के आयकर विवरणी की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।		
5.	**निविदाकार की एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनिम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति। निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 6.6 अनुसार**		
6.	1. **विगत चार** वित्तीय वर्षो **(वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)** में से किन्हीं **तीन वित्तीय वर्षो के कुल टर्न ओव्हर** की जानकारी (निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक–6.7 के बिन्दु क्रमांक–1 अनुसार) 2. समिति होने की स्थिति में विगत चार वित्तीय वर्षो **(वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)** में से किन्हीं **तीन वित्तीय वर्षो के कुल टर्न ओव्हर** की जानकारी (निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक–6.7 के बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार)	परिशिष्ट–09	
7.	आयकर स्थायी खाता कमांक **(PAN NUMBER)** स्व–प्रमाणित छायाप्रति।		
8.	जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।		
9.	भविष्य निधि खाता क्रमांक एवं ई.एस.आई.सी. पंजीयन एवं दोनों की प्रमाणित प्रति।		
10.	**EMD की** ई–रिसिप्ट/एन0ई0एफ0टी0 चालान की प्रति स्केन कर अपलोड करें। **(6.2 अनुसार)**		
11.	निविदा आमंत्रण में निविदाकार द्वारा कितने सेक्टर्स में भाग लिया है एवं निविदा प्रस्तुती के जिले की प्राथमिकता कम की जानकारी, इस आशय का घोषणा–पत्र।	परिशिष्ट–03	
12.	घोषणा–पत्र (नोटराईज्ड)	परिशिष्ट–06	
13.	सत्यनिष्ठा संधि अनुबंध प्रारूप **PRE -CONTRACT INTEGRITY PACT**	परिशिष्ट–07	

हस्ताक्षर–
निविदाकार का नाम –
पता–

यथा संभव वांछित दस्तावजों की सूची इस परिशिष्ट–04 में दर्शायी गई है जो कि सांकेतिक रूप में है। उपरोक्त दर्शित दस्तावेजों को स्वप्रमाणन उपरान्त स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही निविदा दस्तावेज की किसी कंडिका, स्थान विशेष पर उल्लेखित/वांछित दस्तावेज जो उपरोक्त के अतिरिक्त वांछनीय हो, उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–05 'अ'

वित्तीय बिड

(उपार्जन स्कंध परिवहन)

खरीफ/रबी उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य वर्ष 2026–28 वित्तीय बिड का प्रारूप

एम0पी0 टेन्डर्स के प्रावधान के अनुसार बेसएसओआर 100 माना जाता है। BSOR 0 से 100% के मध्य एवं ASOR 100% से अधिक होगी।

(a) यदि किसी निविदाकार द्वारा 100% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X100% =Rs.100 यानि बेसएसओआर के समतुल्य मानी जाएगी। (**BASE SOR**)

(b) यदि किसी निविदाकार द्वारा 60% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X60% =Rs.60 मानी जाएगी अर्थात 40% BASE SOR से कम दर है। (**40% Below SOR**)

(c) यदि किसी निविदाकार द्वारा 120% दरें भरी जाती है तो वह रूपये 100X120% =Rs.120 मानी जाएगी अर्थात BASE SOR से 20% अधिक मानी जाएगी। (**ASOR 20%**)

1.	जिले का नाम	
2.	सेक्टर का नाम	
3.	निविदाकार का नाम, पूरा पता ई–मेल, दूरभाष/मोबाईल नंबर	

भाग– अ

क.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)
01	02	**03**
1	0–8 कि.मी. तक (फ्लेट)	रूपये **75.28 (**प्रति टन**)**
2	8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक	रूपये **9.29 (**प्रति टन प्रति किलोमीटर**)**
3	20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी. तक	रूपये **6.25 (**प्रति टन प्रति किलोमीटर**)**
4	40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी. तक	रूपये **4.78 (**प्रति टन प्रति किलोमीटर**)**
5	80 कि.मी. से अधिक	रूपये **3.25 (**प्रति टन प्रति किलोमीटर**)**

भाग–ब

क.	कार्य	विवरण	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन
1	उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	50 कि.ग्रा. तक बोरों का	रूपये **47.50 (**प्रति टन**)**

निविदा दर

क्र.	कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/-)
1	उपार्जन स्कंध/अन्य सामग्री परिवहन सह अनलोडिंग कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिप्रेक्ष्य में भाग''अ'' व भाग''ब'' हेतु प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत	

- ❖ उपरोक्त परिवहन दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की दरें शामिल नहीं की गई है। अनलोडिंग हेतु इसी वित्तीय बिड में एस.ओ.आर. की दर प्रस्तुत की जाना है।
- ❖ उपार्जन स्कंध परिवहन एवं उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग का कार्य एक ही निविदाकार को दिया जायेगा ।
- ❖ निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत ऑनलाईन ई–निविदा एवं **ABOVE S.O.R.** एवं **BELOW S.O.R.**
- ❖ निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित प्रतिशत के पश्चात प्राप्त दर के आधार पर एल–1 का चयन किया जावेगा ।

परिवहन व्यय की गणना हेतु उदाहरण:-

Revised SOR for rabi and kharif 2026-28 Calculation SLC date 17-04-2025								Cumulative Calculation
Example Total distance 90 km and Quantity 20 MT								
S.N	लीड	Qty (MT)	Base SOR Rate	Calculation of distance	Calculation of Frieght on 90 k.m. distance	Calculation of Frieght on 90 k.m. distance		
1	0-8 किमी की लीड फ्लेट दर	20	75.28	Local flat upto 8 km	1505.00	(75.28*20)=1505. 60		1505.00
2	8 किमी से अधिक एवं 20 किमी तक	20	9.29	(20-8)=12	2229.60	(9.29*20*12)=2229.60		3734.60
3	20 किमी से अधिक एवं 40 किमी तक	20	6.25	(40-20)=20	2500.00	(6.25*20*20)=2500.00		6234.60
4	40 किमी से अधिक एवं 80 किमी तक	20	4.78	(80-40)=40	3824.00	(4.78*20*40)=3824.00		10058.60
5	80 किमी से अधिक	20	3.25	(90-80)=10	650.00	(3.25*20*10)=650.00		10708.60
	Total		98.85		10708.60	10708.60		

नोट :-

1. **उपरोक्त परिवहन व्यय की गणना 90 की दूरी एवं 20 मे. टन मात्रा पर की गई है।**
2. **उपरोक्त चार्ट अनुसार 0-8 किमी. में दर 75.28 प्रति मे. टन फ्लेट रहेगी। अर्थात 20 टन मात्रा हेतु रूपये 1505.60 किमी. तक परिवहन व्यय फिक्स रहेगा।**
3. **दर स्वीकृति का आधार उपर उल्लेख किया गया है। उक्त आधार पर जो बेस SOR से अधिक % दर स्वीकृत होगी उसके अनुसार सभी लीड की दर पर जुडकर भुगतान होगा।**

परिशिष्ट–05 'ब'

वित्तीय बिड (एल.आर.टी. बारदाना जूट)

एल.आर.टी. (बारदाना) परिवहन सह अनलोडिंग कार्य वर्ष 2026–28 वित्तीय बिड का प्रारूप

एम0पी0 टेन्डर्स के प्रावधान के अनुसार बेसएसओआर 100 माना जाता है। **BSOR 0** से 100% के मध्य एवं ASOR 100% से अधिक होगी।

(a) यदि किसी निविदाकार द्वारा 100% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X100%= Rs.100 यानि बेसएसओआर के समतुल्य मानी जाएगी। (**BASE SOR**)

(b) यदि किसी निविदाकार द्वारा 60% दरें भरी जाती हैं तो वह रूपये 100X60% =Rs.60 मानी जाएगी अर्थात 40% BASE SOR से कम दर है। (**40% Below SOR**)

(c) यदि किसी निविदाकार द्वारा 120% दरें भरी जाती है तो वह रूपये 100X120% =Rs.120 मानी जाएगी अर्थात BASE SOR से 20% अधिक मानी जाएगी। (**ASOR** 20%)

4. जिले का नाम	
5. निविदाकार का नाम, पूरा पता ई–मेल, दूरभाष नंबर	

भाग– अ

क.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.**आधारित अनुसूची की दर बारदाना परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)
01	02	03
1	0–8 कि.मी. तक (फ्लेट)	**75.28**
2	8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक	**9.29**
3	20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी. तक	**6.25**
4	40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी. तक	**4.78**
5	80 कि.मी. से अधिक–150 कि.मी. तक	**3.25**
6	150 कि.मी. से अधिक–200 कि.मी. तक	**3.04**
7	200 कि.मी. से अधिक–300 कि.मी. तक	**2.78**
8	300 कि.मी. से अधिक–400 कि.मी. तक	**2.65**
9	400 कि.मी. से अधिक	**2.63**

निविदा दर

क्र.	कार्य का विवरण	वृद्धि / कमी का प्रतिशत (+/-)
1	एल.आर.टी. बारदाना परिवहन हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिप्रेक्ष्य में **भाग"अ"** हेतु प्रस्तावित वृद्धि / कमी का प्रतिशत	

- ❖ उपरोक्त परिवहन दरों में लोडिंग / अनलोडिंग की दरें शामिल नहीं की गई है।
- ❖ निविदाकार द्वारा भाग–अ अनुसूची की दर के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि / कमी का प्रतिशत ऑनलाईन ई–निविदा एवं ABOVE S.O.R.एवं BELOW S.O.R
- ❖ निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित प्रतिशत के पश्चात प्राप्त दर के आधार पर एल–1 का चयन किया जावेगा।

भाग–ब

क.	कार्य	विवरण	गोदाम स्तर पर लोडिंग अथवा जिलों / सेक्टरों में अनलोडिंग / लोडिंग व गोदाम पर अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु दरें (रू. में) प्रति गठान
1	गोदाम से ट्रक में लोडिंग का कार्य	**प्रतिगठान (500 बोरी)**	**75.00**
2	परिवहन पश्चात गोदाम स्तर / समिति स्तर पर अनलोडिंग एवं स्टेकिंग हेतु	**प्रतिगठान (500 बोरी)**	**75.00**

- ❖ **उपरोक्त भाग-ब की तालिका में बारदाना गठान की लोर्डिंग एवं अनलोर्डिंग की दर फिक्स रहेगी। इस दर पर स्वीकृत दर प्रतिशत लागू नहीं होगा।**

परिवहन व्यय की गणना हेतु उदाहरण :-

Example- Calculation upto 500 KM

Revised SOR for LRT BARDANA 2026-28 Calculation SLC-date 17-4-2025

example- distance 500 km and Quantity 20 MT

S.N	Lead	Qty (MT)	NEW SOR Rate	Calculation of distance	Calculation of Frieght on 700 k.m. distance	Calculation of Frieght on 700 k.m. distance	Cumulative calculation
1	0-8 कि.मी. की लीड फ्लेट दर	20	75.28	Local flat upto 8 km	1505.60	(75.28*20)=1505.60	1505.60
2	8 कि.मी.से अधिक एवं 20कि.मी.तक	20	9.29	(20-8)=12	2229.60	(9.29*20*12)=2229.60	3735.20
3	20 कि.मी.से अधिक एवं 40कि.मी.तक	20	6.25	(40-20)=20	2500.00	(6.25*20*20)=2500.00	6235.20
4	40 कि.मी.से अधिक एवं 80कि.मी.तक	20	4.78	(80-40)=40	3824.00	(4.78*20*40)=3824.00	10059.20
5	80 कि.मी. से अधिक एवं 150 कि.मी. तक	20	3.25	(150-80)=70	4550.00	(3.25*20*70)=4550.00	14609.20
6	150 कि.मी. से अधिकएवं 200 कि.मी. तक	20	3.04	(200-150)=50	3040.00	(3.04*20*50)=3040.00	17649.20
7	200 कि.मी. से अधिकएवं 300 कि.मी. तक	20	2.78	(200- 300)=100	5560.00	(2.78*20*100)=5560.00	23209.20
8	300 कि.मी. से अधिकएवं 400 कि.मी. तक	20	2.65	(300-400)=100	5300.00	(2.65*20*100)=5300.00	28509.20
9	400 कि.मी. से अधिकएवं 500 कि.मी. तक	20	2.63	(400-500)=100	5260.00	(2.63*20*100)=5260.00	33769.20
	Total		109.95		33769.20	33769.20	

नोट:-

i. उदाहरण हेतु उपरोक्त परिवहन व्यय की गणना 500 कि.मी. की दूरी एवं 20 मे0 टन मात्रा पर की गई है ।

ii. उपरोक्त चार्ट अनुसार 0-8 किमी.में दर रूपये 75.28 प्रति मे0 टन फ्लेट रहेगी। अर्थात 20 टन मात्रा हेतु रूपये 1505.60 किमी.तक परिवहन व्यय फिक्स रहेगा ।

iii. दर स्वीकृति का आधार उपर उल्लेख किया गया है। उक्त आधार पर जो बेस SOR से अधिक % दर स्वीकृत होगी, उसके अनुसार सभी लीड की दर पर जुडकर भुगतान होगा ।

iv. बारदाना गठान की लोडिंग एवं अनलोडिंग की दर फिक्स रहेगी। इस पर स्वीकृत दर प्रतिशत लागू नहीं होगा ।

परिशिष्ट–06

निविदाकार द्वारा निविदा के समय दिये जाने वाला (घोषणा–पत्र)

1. मुझे अथवा मेरे किसी भागीदार को निविदा भरने की दिनांक में ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है, मेरे या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या उसके किसी भी पार्टनर/पार्टनर्स शासन/शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था से परिवहन कार्य हेतु निविदा दिनांक को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। (संदर्भ कंडिका 5.6)

2. मेरे या मेरे फर्म के पार्टनर इत्यादि का कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। यदि कोई प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी पृथक से मेरे द्वारा दी जा रही है। (संदर्भ कंडिका 5.5)

3. जिला विपणन अधिकारी या विपणन संघ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप परिवहन व्यवस्था करने के लिए बाध्य रहूंगा।

4. मेरे द्वारा वित्तीय निविदा के साथ जो दरें दी जा रही हैं, उस पर में कार्य करने में सहमत हूँ। एस0ओ0आर0 आधारित दरों को मेरे द्वारा समझ लिया गया है। **उपार्जन स्कंध परिवहन** एवं **एल0आर0टी0 (बारदाना)** परिवहन निविदा वर्ष 2026–28 को मैंने भलिभांति पढ़ लिया है। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं/शर्तों एवं नियमों को मानने के लिए सहमत हूँ।

5. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित कंडिका अनुरूप परिवहन कार्य न करने की स्थिति में मुझे अथवा मेरी फर्म पर विपणन संघ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

6. निविदा में वांछित संलग्न/अपलोड दस्तावेज पूर्णतः सही हैं, भविष्य में दस्तावेज कूटरचित या गलत पाए जाते हैं तो, मेरी जमा अमानत (ई0एम0डी0)/प्रतिभूति (एस0डी0) राशि राजसात करते हुए विपणन संघ द्वारा मेरा अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

7. उपार्जन अवधि के दौरान मेरे द्वारा स्वंय के स्वात्मिव के वाहनों का अन्य किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किया जावेगा। मेरे द्वारा द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत प्रस्तुत की गई निविदा के साथ संलग्न किये गये स्वयं एवं अनुबंधित ट्रकों को इस निविदा में सम्मिलित (संलग्न) नहीं किया गया।

1.NIT NO. ------------- दिनांक................
2. जिला/सेक्टर का नाम.............................

हस्ताक्षर

फर्म का नाम
मो0नं0.................

नोटः–

1. घोषणा पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड होना चाहिए एवं प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग घोषणा पत्र होना चाहिए ।

परिशिष्ट–07

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on ----------------day of the--------- month **2026**, between, **The Madhya Pradesh State Co-Operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri (Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "BUYER/PRINCIPAL", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s. ___________________represented by Shri Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the "BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR is a Private Company /Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a private ltd. co. under the company act 1956 performing its function on behalf of the Government of MP.

2. OBJECTIVES

NOW,THEREFORE, the BUYER / PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1 Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/ Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2 Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competetors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1 The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER / SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/ CONTRACTO Rs.

3.3 All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial

suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/ PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre- contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable

facts.
4.9 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.
5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6 . SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or any one of the following actions, wherever required:-
6.1 To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.
6.2 To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.
6.3 To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.
6.4 To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of (Name of the Bank/Financial Institution) If any outstanding payment is due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest
6.5 To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.
6.6 To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.
6.7 To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.
6.8 To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.
6.9 In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR, the same shall not be opened.
6.10 If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the

officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.
The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant
6.11 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR.
6.12 The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER / SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

7. FALL CLAUSE
The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of MP or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of MP or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR to the BUYER /PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

8. INDEPENDENT' MONITORS
8.1 The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.
8.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.
8.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.
8.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.
8.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER/PRINCIPAL.
8,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/

CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situation.

9. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

10 . LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at Bhopal, Madhya Pradesh.

11. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

12. VALIDITY

12.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER /PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

12.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at .... on ....

BUYER/PRINCIPAL
BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer
AUTHORISED SIGNATORY
Madhya Pradesh State Co-Operative Marketing Federation Ltd.

Witness	**Witness**
1) ____________________________	**1)** ____________________________
2) ____________________________	**2)** ____________________________

परिशिष्ट–08 (1)

(परिवहनकर्ता हेतु)

(उपार्जन स्कंध परिवहन हेतु अनुबंध–पत्र)
नमूना–प्रति
(रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) मूल्य का मुद्रांक पत्र)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मेरे/हमारे द्वारा दिनांक..को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में विपणन संघ के..................जिले के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सेक्टर................................के उपार्जन केन्द्रों से स्वीकृत लीड अन्तर्गत संग्रहण केन्द्रों तक रबी एवं खरीफ उपार्जन स्कंध परिवहन व परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28 के लिए निविदा में उल्लेखित **भाग 'अ' एवं भाग 'ब'** की **एस.ओ.आर. (S.O.R.) आधारित..............प्रतिशत अधिक/कम** स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ।

भाग– अ

क्र.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/–)
01	02	03	
1	0–8 कि.मी. तक (फ्लेट)	रूपये **75.28 (**प्रति टन**)**	
2	8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक	रूपये **9.29 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
3	20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी. तक	रूपये **6.25 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
4	40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी. तक	रूपये **4.78 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
5	80 कि.मी. से अधिक	रूपये **3.25 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	

भाग–ब

क्र.	कार्य	विवरण	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/–)
1	उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	50 कि.ग्रा. तक बोरों का	रूपये **47.50 (**प्रति मे0टन**)**	

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स.. ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी/ सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री..पुत्र श्री............................ ....निवासी..एवं फर्म का पंजीयन पता..(जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे विपणन संघ कहा गया है) के बीच आज दिनांक.....................................को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **रबी/खरीफ उपार्जन स्कंध परिवहन व परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28 हेतु** संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक................................ दिनांक...........................टेण्डर आई0डी0 नम्बर........................तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/परिवहन/2026–28/................दिनांक.............. के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक.............................दिनांक..............................में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई **S.O.R. आधारित** दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त विपणन संघ को यह आश्वासन देता

हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये...................... जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं तथा निविदा दस्तोवज की समस्त कंडिकाऐं एवं उपकंडिकाऐं इस अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा, जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक ....से 31.08.2028 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा ।

साक्षी –

(1)

(2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी –

(1)

(2)

विपणन संघ की ओर से

संलग्न दस्तावेजः–

1...........................

जिला विपणन अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–08 (2)

(परिवहनकर्ता हेतु)

(एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन हेतु अनुबंध–पत्र)

नमूना–प्रति

(रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) मूल्य का मुद्रांक पत्र)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मेरे/हमारे द्वारा दिनांक.............................. को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में विपणन संघ के.............................जिले के संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य एल0आर0टी0 (बारदाना) हेतु **वर्ष 2026–28** के लिए निविदा में निम्नानुसार उल्लेखित **''भाग अ एवं भाग ब''** की **एस0ओ0आर0 (S.O.R.)** आधारित................**प्रतिशत अधिक/कम** इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ :–

भाग– अ

क.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत **(+/-)**
01	02	03	
1	**0-8** कि.मी. की लीड फ्लेट दर	**75.28**	
2	**8** कि.मी.से अधिक एवं **20** कि.मी.तक	**9.29**	
3	**20** कि.मी.से अधिक एवं **40** कि.मी.तक	**6.25**	
4	**40** कि.मी.से अधिक एवं **80** कि.मी.तक	**4.78**	
5	**80** कि.मी. से अधिक एवं **150** कि.मी. तक	**3.25**	
6	**150** कि.मी. से अधिक एवं **200** कि.मी. तक	**3.04**	
7	**200** कि.मी. से अधिक एवं **300** कि.मी. तक	**2.78**	
8	**300** कि.मी. से अधिक एवं **400** कि.मी. तक	**2.65**	
9	**400** कि.मी. से अधिक एवं **500** कि.मी. तक	**2.63**	

भाग–ब

क.	कार्य	विवरण	गोदाम स्तर पर लोडिंग अथवा गोदाम पर अनलोडिंग/लोडिंग व गोदाम पर अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु दरें (रू. में) प्रति गठान
1	गोदाम से ट्रक में लोडिंग का कार्य	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**
2	परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**

विशेष नोट :- बारदाना गठान की लोडिंग एवं अनलोडिंग की दर फिक्स रहेगी । इस पर स्वीकृत दर प्रतिशत लागू नहीं होगा ।

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी/सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री.. ....पुत्र श्री...निवासी....................................... ....एवं फर्म का पंजीयन पता... (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे विपणन संघ कहा गया है) के बीच आज दिनांक....................................को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **लम्बी दूरी के परिवहन कार्य एल0आर0टी0 (बारदाना) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28** हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..............................दिनांक..................................तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधो, निर्देशों

तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/बारदाना परिवहन/2026–28/.................. दिनांक.................के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक........................दिनांक........................में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई एस.ओ.आर. (**SOR**) आधारित दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त विपणन संघ को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये...........................जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं तथा निविदा दस्तोवज की समस्त कंडिकाऐं एवं उपकंडिकाऐं इस अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक ....से 31.08.2028 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा।

साक्षी –

(1)

(2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी –

(1)

(2)

विपणन संघ की ओर से

संलग्न दस्तावेज :–

1............................

2..........................

जिला विपणन अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–08 (3)

(परिवहनकर्ता हेतु)

(उपार्जन स्कंध परिवहन हेतु प्रथम न्यूनतमदर पर वैकल्पिक परिवहनकर्ता)

नमूना–प्रति

(रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) मूल्य का मुद्रांक पत्र)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मेरे/हमारे द्वारा दिनांक..को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में विपणन संघ के.................. जिले के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सेक्टर.............................के उपार्जन केन्द्रों से स्वीकृत लीड अन्तर्गत संग्रहण केन्द्रों तक रबी एवं खरीफ उपार्जन स्कंध परिवहन व परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28 के लिए निविदा में उल्लेखित **भाग 'अ' एवं भाग 'ब'** की **एस.ओ.आर. (S.O.R.) आधारित..............प्रतिशत अधिक/कम** स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ।

भाग– अ

क्र.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/–)
01	02	03	
1	0–8 कि.मी. तक (फ्लेट)	रूपये **75.28 (**प्रति टन**)**	
2	8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक	रूपये **9.29 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
3	20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी. तक	रूपये **6.25 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
4	40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी. तक	रूपये **4.78 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	
5	80 कि.मी. से अधिक	रूपये **3.25 (**प्रति मे0टन प्रति किलोमीटर**)**	

भाग–ब

क्र.	कार्य	विवरण	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत (+/–)
1	उपार्जन के दौरान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	50 कि.ग्रा. तक बोरों का	रूपये **47.50 (**प्रति मे0टन**)**	

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स............................ ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी/ सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री... ....पुत्र श्री..निवासी.. ....एवं फर्म का पंजीयन पता..(जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे विपणन संघ कहा गया है) के बीच आज दिनांक....................................को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **रबी/खरीफ उपार्जन स्कंध परिवहन व परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28 हेतु** संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.................................दिनांक............................टेण्डर आई0डी0 नम्बर.........................तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/परिवहन/2026–28/................दिनांक..............के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक... ....दिनांक.............................में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई **S.O.R. आधारित** दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त विपणन संघ को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत

सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये............................जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं तथा निविदा दस्तोवज की समस्त कंडिकाऐं एवं उपकंडिकाऐं इस अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा, जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक ....से 31.08.2028 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा ।

साक्षी –

(1)

(2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी –

(1)

(2)

विपणन संघ की ओर से

संलग्न दस्तावेजः–

1............................

जिला विपणन अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–08 (4)

(परिवहनकर्ता हेतु)

(एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन हेतु प्रथम न्यूनतमदर पर वैकल्पिक परिवहनकर्ता)

नमूना–प्रति

(रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) मूल्य का मुद्रांक पत्र)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मेरे/हमारे द्वारा दिनांक.............................. को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में विपणन संघ के..............................जिले के संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य एल0आर0टी0 (बारदाना) हेतु **वर्ष 2026–28** के लिए निविदा में निम्नानुसार उल्लेखित **''भाग अ एवं भाग ब''** की **एस0ओ0आर0 (S.O.R.)** आधारित................**प्रतिशत अधिक/कम** इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ :–

भाग– अ

क.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत **(+/-)**
01	02	03	
1	**0-8** कि.मी. की लीड फ्लेट दर	**75.28**	
2	**8** कि.मी.से अधिक एवं **20** कि.मी.तक	**9.29**	
3	**20** कि.मी.से अधिक एवं **40** कि.मी.तक	**6.25**	
4	**40** कि.मी.से अधिक एवं **80** कि.मी.तक	**4.78**	
5	**80** कि.मी. से अधिक एवं **150** कि.मी. तक	**3.25**	
6	**150** कि.मी. से अधिक एवं **200** कि.मी. तक	**3.04**	
7	**200** कि.मी. से अधिक एवं **300** कि.मी. तक	**2.78**	
8	**300** कि.मी. से अधिक एवं **400** कि.मी. तक	**2.65**	
9	**400** कि.मी. से अधिक एवं **500** कि.मी. तक	**2.63**	

भाग–ब

क.	कार्य	विवरण	गोदाम स्तर पर लोडिंग अथवा गोदाम पर अनलोडिंग/लोडिंग व गोदाम पर अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु दरें (रू. में) प्रति गठान
1	गोदाम से ट्रक में लोडिंग का कार्य	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**
2	परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**

विशेष नोट :- बारदाना गठान की लोडिंग एवं अनलोडिंग की दर फिक्स रहेगी। इस पर स्वीकृत दर प्रतिशत लागू नहीं होगा ।

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी/सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री.. ....पुत्र श्री...निवासी...................................... ....एवं फर्म का पंजीयन पता.. (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे विपणन संघ कहा गया है) के बीच आज दिनांक.....................................को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **लम्बी दूरी के परिवहन कार्य एल0आर0टी0 (बारदाना) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28** हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..............................दिनांक..................................तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधो, निर्देशों

तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/बारदाना परिवहन/2026–28/.................. दिनांक.................के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक........................दिनांक........................में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई एस.ओ.आर. (**SOR**) आधारित दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त विपणन संघ को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये...........................जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं तथा निविदा दस्तोवज की समस्त कंडिकाऐं एवं उपकंडिकाऐं इस अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक ....से 31.08.2028 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा ।

साक्षी –

(1)

(2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी –

(1)

(2)

विपणन संघ की ओर से

संलग्न दस्तावेज :–

1............................

2..........................

जिला विपणन अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–08 (5)

(परिवहनकर्ता हेतु)

(एल0आर0टी0 बारदाना परिवहन हेतु प्रथम न्यूनतमदर पर समानान्तर परिवहनकर्ता)
नमूना–प्रति
(रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) मूल्य का मुद्रांक पत्र)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मेरे/हमारे द्वारा दिनांक.............................. को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में विपणन संघ के..............................जिले के संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य **एल0आर0टी0 (बारदाना)** हेतु **वर्ष 2026–28** के लिए निविदा में निम्नानुसार उल्लेखित **''भाग अ एवं भाग ब''** की **एस0ओ0आर0 (S.O.R.)** आधारित................**प्रतिशत अधिक/कम** इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ :–

भाग– अ

क.	लीड्स (कि.मी.)	**S.O.R.** आधारित अनुसूची की दर स्कंध परिवहन हेतु दरें (रूपए में) प्रति टन प्रति कि.मी. (0 से 8 किमी. को छोड़कर)	स्वीकृत वृद्धि/कमी का प्रतिशत **(+/-)**
01	02	03	
1	0–8 कि.मी. तक (फ्लेट)	**75.28**	
2	8 कि.मी. से अधिक–20 कि.मी. तक	**9.29**	
3	20 कि.मी. से अधिक–40 कि.मी. तक	**6.25**	
4	40 कि.मी. से अधिक–80 कि.मी. तक	**4.78**	
5	80 कि.मी. से अधिक 150 कि.मी. तक	**3.25**	
6	150 कि.मी. से अधिक 200 कि.मी. तक	**3.04**	
7	200 कि.मी. से अधिक 300 कि.मी. तक	**2.78**	
8	300 कि.मी. से अधिक 400 कि.मी. तक	**2.65**	
9	400 कि.मी. से अधिक	**2.63**	

भाग–ब

क.	कार्य	विवरण	गोदाम स्तर पर लोडिंग अथवा गोदाम पर अनलोडिंग/लोडिंग व गोदाम पर अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु दरें (रू. में) प्रति गठान
1	गोदाम से ट्रक में लोडिंग का कार्य	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**
2	परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग हेतु	प्रतिगठान (500 बोरी)	**75.00**

विशेष नोट :- बारदाना गठान की लोडिंग एवं अनलोडिंग की दर फिक्स रहेगी। इस पर स्वीकृत दर प्रतिशत लागू नहीं होगा ।

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी/सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री.. ....पुत्र श्री...निवासी...................................... ....एवं फर्म का पंजीयन पता.. (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे विपणन संघ कहा गया है) के बीच आज दिनांक....................................को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **लम्बी दूरी के परिवहन कार्य एल0आर0टी0 (बारदाना) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026–28** हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा आमंत्रित निविदा

क्रमांक..............................दिनांक..................................तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधो, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/बारदाना परिवहन/2026–28/................. दिनांक.................के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक........................दिनांक........................में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई एस.ओ.आर. (SOR) आधारित दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त विपणन संघ को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये...........................जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं तथा निविदा दस्तोवज की समस्त कंडिकाऐं एवं उपकंडिकाऐं इस अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक ....से 31.08.2028 तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा।

साक्षी –

(1)

(2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी –

(1)

(2)

विपणन संघ की ओर से

संलग्न दस्तावेज :–

1...........................

2..........................

जिला विपणन अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट–09

टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा श्री/मेसर्स...की फर्म विगत चार वर्षों के वित्तीय पत्रकों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि, विगत वर्षों में फर्म का कुल टर्न ओव्हर एवं उस टर्न ओव्हर में से परिवहन संबंधी कार्य राशि का टर्न ओव्हर निम्नानुसार है :–

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपए में)	परिवहन संबंधी कार्य के टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपए में)
1	2021–22		
2	2022–23		
3	2023–24		
4	2024–25		

उपरोक्त फर्म का यू0डी0आई0एन0 नम्बर (**UDIN No.**)... है। इस प्रमाण–पत्र में टर्न ओव्हर बावत् पाई गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं पूर्णतः जवाबदार रहूंगा।

उक्त प्रमाण–पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फर्म की मुद्रा सहित जारी किया जा रहा है।

दिनांक...........

चार्टर्ड एकाउंटेट का नाम

चार्टर्ड एकाउंटेट फर्म का नाम

पता

*ई–परिवहन **S.O.R.** आधारित दर प्राप्ति हेतु*

रबी / खरीफ उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन सह लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

********______********

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा शासन के दिशा–निर्देशों के परिपालन में **SOR** आधारित दर प्राप्ति के उद्देश्य से उपार्जन स्कंध परिवहन सह अनलोडिंग कार्य हेतु एम0पी0 टेन्डर्स के माध्यम से रबी / खरीफ विपणन वर्ष 2026–28 में उपार्जित दलहन–तिलहन (स्कंध) एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन हेतु जिलों में सेक्टरवार तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा दिनांक 19.05.2026 तक आमंत्रित की जा रही है। ई–निविदाएं, पात्र परिवहनकर्ताओं से, विपणन संघ के निर्धारित निविदा दस्तावेज, जिसमें परिवहन संबंधी निर्देशों, शर्तों व नियमों–प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख है, अनुसार आमंत्रित है। ई–निविदाएं निर्धारित दस्तावेज वेबसाईट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर क्रय हेतु एवं विपणन संघ की वेबसाईट **(www.mpmarkfed.mp.gov.in)** पर ई–निविदा कार्यक्रम व संबंधित परिशिष्ट अवलोकन हेतु उपलब्ध है, आमंत्रित निविदा का विवरण निम्नानुसार है :–

ई–परिवहन **S.O.R.** निविदा वर्ष 2026–28

1. ई–परिवहन **S.O.R.** आधारित दर प्राप्ति हेतु (वर्ष 2026–28 में उपार्जित होने वाले दलहन–तिलहन (स्कंध) एवं एल0आर0टी0 (बारदाना) परिवहन हेतु **S.O.R.** आधारित तृतीय अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा)

निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रकिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 0120–4200462, 0120–4001002, 0120–4001005, 0120–6277787 –18002588684 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

महाप्रबंधक
(दलहन–तिलहन उपार्जन)
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

संशोधनों का विवरण

नोटः— निविदा में किसी संशोधन की जानकारी केवल विपणन संघ की वेबसाईट **http://www.mpmarkfed.mp.gov.in** में एवं **http://www.mptenders.gov.in** के वेबपोर्टल के माध्यम से सूचित किया जावेगा। उक्त की सूचना समाचार पत्रों में पृथक से जारी नहीं की जावेगी। अतः एव इस निविदा अवधि में भरने के पूर्व इस पृष्ठ एवं परिशिष्टों को निविदाकार अवश्य देख लें व तदनुसार दर भरें।

निविदा दस्तावेज समाप्त

Signature Not Verified

Digitally signed by BHAGWAN SINGH KHEDEKAR
Date: 2026.05.15 11:25:05 IST
Location: Madhya Pradesh-MP